कुरुक्षेत्र

दिसम्बर 1983 मूल्य : 1 रु०

ग्रामोत्थान की दिशा में विद्युतीकरण

हर गांव में बिजली-लक्ष्य और प्रयास

बिजली पहुंच जाने से गांव का स्वरूप ही बदल गया

देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण का काम 1990 तक पूरा हो जाने तथा भूमिगत जल की क्षमताओं को 1995 तक उपयोग में लाए जाने की आशा है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को तयार करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

शत-प्रतिशत विद्युतीकरण और भूमिगत जल के अधिकतम उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों में स्थापित ग्रामीण विद्युतीकरण व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किए जाने और परिवारों, लघु तथा सीमान्त किसानों एवं अन्य कमजोर वर्गों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ग्राम विद्युतीकरण का स्तर 13 प्रतिशत से बढ़कर 55.6 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार ऊर्जायित पम्प सैटों की संख्या 11 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गई है। इससे 40 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है जिससे 2 करोड़ 10 लाख मी० टन उत्पादन अधिक हो सका। इसके लिए पर्याप्त प्रोत्साहन संगठनात्मक समर्थन और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

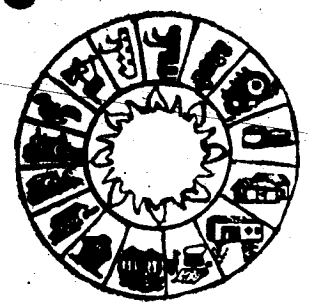

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1 रु०, वार्षिक चन्दा : 10 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा

सहायक व्यापार व्यवस्थापक :
एडवर्ड बेक

सहायक निदेशक (उत्पादन) :
के० आर० कृष्णन

सम्पादक : श्रीमती सुमन शर्मा
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : मेघजी परमार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 29 **अग्रहायण–पौष 1905** **अंक 2**

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

विद्युत द्वारा ग्रामीण विकास—भारतीय अनुभव 2
एम० वेंकटरत्नम
बोराबास–सामुदायिक बायोगैस 3
रामस्वरूप जोशी
गांवों में परिवार नियोजन की प्रगति कम क्यों ? 4
डा० एम० एल० शर्मा
गांवों में ऊर्जा क्रांति के बढ़ते कदम 6
प्रो० ओ० पी० तोषनीवाल एवं प्रो० जे० पी० गर्ग
ग्रामीण महिलाओं के लिए ऊर्जा प्रबन्ध एवं पर्यावरण संबंधी ज्ञान 7
राधेश्याम त्रिपाठी
शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार की योजना 10
ग्रामोत्थान की दिशा में विद्युतीकरण 12
कु० अलकेश त्यागी
मेरे देश में (कविता) 14
माता प्रसाद शुक्ल
एक नई जिन्दगी की शुरुआत 15
पट परिवर्तन 16
बलदेव नारायण
वनरोपण एवं जनता का दायित्व 20
अंकुश्री
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम—मासिक रिपोर्ट 24
कहार से कांधिया तक (कविता) 25
सलेक चन्द्र 'मधुप'
निर्बल का संबल—सार्वजनिक वितरण प्रणाली 26
राकेश कुमार 'अग्रवाल
सामाजिक वानिकी—20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 28
सेवा सिंह सागवाल
जय हिन्दी जय भारती 30
राधेश्याम आर्य 'विद्यावाचस्पति'
केन्द्र के समाचार 31
मत रो बहन (कविता) 32
धर्मवीर सिंह पाल

विद्युत द्वारा ग्रामीण विकास — भारतीय अनुभव

एम० वेंकटरत्नम

साठ के दशक में एक के बाद एक सूखे के कारण भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण पर विशेष बल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई पम्पों को विद्युत द्वारा परिचालित कर कृषि उत्पादन में वृद्धि। बार-बार के सूखे ने लोगों को बड़े कष्ट में डाल दिया था। इसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत कमी आई और फलस्वरूप खाद्यान्न का आयात करना अनिवार्य हो गया।

कृषि क्षेत्र की नई कार्यनीति का मुख्य अंग हुआ सारे साल सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धि। इसके लिए आवश्यक था कि भूजल को विद्युत शक्ति द्वारा विस्तृत कर सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाए। इस प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण और सिंचाई पम्पों के लिए बिजली की व्यवस्था ग्रामीण विकास का मुख्य पहलू बन गया। कृषि विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के त्वरित गति के एक विशाल कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई। इस प्रकार जुलाई, 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई। और यह निगम विद्युत के माध्यम से विकास कार्यों में सीधे योगदान वाला एक बड़ा वित्तीय संस्थान बन गया।

1969 तक ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में कुछ प्रगति हो चुकी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय केवल 3000 गांव ही ऐसे थे जिनमें बिजली थी। उसके बाद दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में उल्लेखनीय प्रगति हुई जिसके फलस्वरूप बिजली वाले ग्रामों की संख्या 74,000 हो गई जो कुल 5 लाख 76 हजार ग्रामों की संख्या का 13 प्रतिशत है इसी प्रकार बिजली द्वारा परिचालित पम्प सैटों की संख्या भी 21000 से बढ़कर 1969 में 87 लाख हो गई थी। लेकिन इन सारे प्रयासों में पूंजी बहुत लगती थी और उस पर लाभ इतना कम मिलता था कि ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम के इस चरण पर आकर विशेष वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई।

अतः ग्रामीण विद्युतीकरण का संवर्द्धन और ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समितियों का विकास ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के मुख्य लक्ष्य निश्चित किए गए। निगम की ऋण नीतियां भारत सरकार के विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इन निर्देशों में यह शर्त है कि निगम की नीति क्षेत्रीय विकास की होगी और उसमें भी पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही निगम परियोजनाओं की व्यवहार्यता का एक मानक मानदण्ड अपनाएगा और इस प्रकार का प्रत्येक प्रयास किया जाएगा कि विद्युतीकरण का ग्रामीण ढांचे के विकास के अन्य पहलुओं के साथ सामंजस्य रहे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का सर्वाधिक उत्पादक उपयोग हो सके। इस शर्त के कारण प्रत्येक योजना की गहरी समीक्षा आवश्यक है ताकि भूजल की उपलब्धि एवं विद्युत की समुचित मांग का ठीक प्रकार निश्चय किया जा सके।

प्रगति का लेखा-जोखा

निगम ने 1970 के शुरू में कार्य करना प्रारम्भ किया था और मार्च 1983 तक इसने 22 प्रदेशों में 6500 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक का धन स्वीकृत किया गया है जिसका लगभग 70 प्रतिशत भाग पहली, दूसरी या बाद की वार्षिक किस्तों के रूप में 3 से 5 वर्ष तक की अवधि की अलग-अलग योजनाओं को दिया भी जा चुका है। मुख्यतः ऋण लेने वालों में राज्य विद्युत परिषदें हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त 30 ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों को भी ऋण मिला है।

निगम ने 1978 में एक नया प्रयास शुरू किया जो एक ठोस सहभागी वित्तीय कार्यक्रम के रूप में विकसित हो चुका है। यह कार्यक्रम सिंचाई पम्पों के कनेक्शनों के लिए है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ निगम निर्धारित क्षेत्र में पम्पों के कनेक्शन देने की योजनाओं में राज्य विद्युत परिषदों को 2 से 4 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देता है। इस संयुक्त प्रयास पर मार्च, 1983 तक कुल 45.3 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है। इस विशिष्ट

योजनाओं की दूसरी शृंखला शुरू की। इसके अन्तर्गत ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक संस्थानों में बिजली के कनेक्शन देने के लिए निगम द्वारा ऋण दिया जाता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 1951 में केवल 3000 से कुछ अधिक गांवों में बिजली पहुंची थी और आज ऐसे गांवों की संख्या बढ़कर 3.2 लाख तक पहुंच गई है। इस दिशा में हुई प्रगति में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के व्यापक योगदान का अनुमान इसी तथ्य से लग सकता है कि गत 9 वर्ष में जिन 1.6 लाख गांवों में बिजली पहुंचाई गई उसमें से 81 प्रतिशत गांवों को बिजली निगम के विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ही मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग इन क्षेत्रों के कारण हुई है :—

(1) कृषि जिसमें उत्पादन और कृषि उत्पादों के संसाधन की प्रक्रिया दोनों ही सम्मिलित हैं (2) उद्योग एवं वाणिज्य जिसमें लघु, मझोले औद्योगिक संयंत्र, कुटीर उद्योग एवं वाणिज्यिक गतिविधियां सम्मिलित हैं। (3) जन सुविधा सेवाएं जिसमें मुख्य हैं गांवों की सड़कों पर प्रकाश के लिए बिजली, जल आपूर्ति, विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा (4) घरेलू क्षेत्र मुख्यतः घरों में प्रकाश की व्यवस्था है।

प्रख्यात अनुसन्धान संस्थानों द्वारा निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर अध्ययन करवाए हैं :—

(1) कृषि पम्प सेटों का विद्युतीकरण और अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र की उपलब्धि, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने में उसका प्रभाव।

(2) नए कृषि पर आधारित एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना और इस क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों की व्यवस्था।

बोराबास

सामुदायिक बायोगैस

रामस्वरूप जोशी

ऊर्जा के नए स्रोतों के लिए और ऊर्जा के विस्तार के लिए विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं। कृषि एवं पशुधन पालन प्रमुखता वाले इस प्रदेश राजस्थान में गांवों को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर गैस का वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में विकास किया गया है। गोबर गैस ऊर्जा के सामुदायिक उपयोग के लिए राजस्थान में दूसरा प्रयोग कोटा जिले के बोराबास ग्राम में किया जा रहा है।

बोराबास कोटा से 21 किलोमीटर दूर 65 घरों की बस्ती वाला कोटा शहर की 50 प्रतिशत आबादी की दूध की आवश्यकता पूर्ति करने वाला गूजर बाहुल्य ग्राम है। जहां लगभग 1500 से अधिक अच्छी नस्ल के दुधारू पशु हैं। ग्राम की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामुदायिक गोबर गैस संयन्त्र का निर्माण प्रारम्भ किया गया है जो राजस्थान में इस प्रकार का दूसरा संयन्त्र होगा।

लगभग 3 लाख 12 हजार रुपये की लागत से 60 व 25 टन मीटर के दो ड्रम वाला गोबर गैस संयन्त्र बनाया जाएगा जिसको प्रारम्भ करने के लिए एक हजार किलो गोबर की आवश्यकता होगी तथा एक सौ किलो गोबर की, जो लगभग 100 जानवरों का होगा, प्रति दिन आवश्यकता होगी।

ग्राम के 40 परिवार भोजन बनाने एवं रोशनी करने के साथ आटा चक्की चलाने, कुट्टी की मशीन चलाने, पेयजल योजना के लिए दस व पांच अश्वशक्ति के इंजिन चलाने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त शासकीय संस्थानों, पुलिस चौकी, वन चौकी, ग्राम पंचायत आदि के भी रोशनी के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी।

फसलों की सघनता में वृद्धि की ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा उपलब्ध सिंचाई साधनों के कारण आशा की जा सकती है। आपरेशन रिसर्च ग्रुप द्वारा किए गए 1979–80 के सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकला था कि किसानों की फसलों की सघनता में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के फलस्वरूप 41.1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए, 211.1 लाख अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हुआ और 165 करोड़ मानव दिवसों के बराबर रोजगार जुटाया गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अपने सामने 1990 तक शत प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण और 1995 तक सारे भूजल की क्षमता के उपयोग का लक्ष्य रखा है। यह योजना सफल होने पर देश के सारे गांवों में बिजली और इसके माध्यम से ग्रामीण विकास के सपने साकार हो सकेंगे। □

गांवों में परिवार नियोजन की प्रगति कम क्यों ?

डा० एम० एल० शर्मा

किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में वहां की जनशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, किन्तु दुर्भाग्य है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए यहां की जनशक्ति वरदान न होकर अभिशाप सिद्ध हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में न केवल बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, चोरी-डकैती एवं हत्याएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं अपितु देश की कुल उपभोग की मात्रा बढ़ जाने के कारण कुछ बचत की दर में गिरावट हुई है जिसके परिणामस्वरूप कुल निवेश की मात्रा में आशानुकूल वृद्धि नहीं हो पाई है। फलस्वरूप विकास की गति धीमी पड़ती जा रही है।

परिवार नियोजन की कम प्रगति का कारण

तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण गांवों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता ही है। चूंकि भारत गांव का देश है और लगभग 80 प्रतिशत यानि 56 करोड़ जनसंख्या का निवास स्थल गांव ही है अतः गांवों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपेक्षा करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना असम्भव है। बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या आज भारत के प्रत्येक नर-नारी को सोचने के लिए बाध्य कर रही है। प्रत्येक स्त्री-पुरुष की इच्छा बलवती हो उठी है कि बच्चों की संख्या जितनी ही कम होगी उतने ही उनके स्वप्न साकार होंगे, स्वास्थ्य उत्तम होगा, उनका पालन पोषण ठीक प्रकार से होगा, सुचारु शिक्षा दी जा सकेगी एवं अनेक समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। शिक्षित नर-नारी यह विश्वास करने लगे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने में ही निहित है। लेकिन अनेक कारणों से ग्रामीण नर-नारी की गोद एक या दो साल में ही भर जाती है और इसे अपनी गोद में लिए, जिन्दगी से ऊबती घुटती, कुढ़ती, खीझती अपने भाग्य को कोसती-घुट-घुटकर अपनी इहलीला समाप्त कर देती हैं। इस प्रकार आज भी परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ गांव के गरीब, कमजोर, निर्धन, असहाय एवं अपेक्षित परिवार तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कई कारण हैं जैसे—गांवों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार की कमी, अन्धविश्वास, सरकारी कर्मचारियों की गलत नीति एवं मनोरंजन के साधनों का अभाव, अगर है भी तो ग्रामीणों को अपने काम से फुरसत कहां है कि वे बैठकर मनोरंजन के साधनों का लाभ ले सकें। साथ ही परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों जैसे—लूप, गर्भ निरोधक दवाइयां आदि का ज्ञान ग्रामवासियों को न होना। मनोरंजन के साधनों के अभाव में दिन भर काम करने के बाद शरीर की थकान दूर करने हेतु सिवा "सेक्स" के उनके पास और कोई साधन नहीं होते जिसके जरिए वे अपनी थकावट को दूर कर सकें।

अतः परिवार नियोजन की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम वासियों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाया जाए, जिससे जन्म दर में कमी होगी, और भविष्य में जनसंख्या को कम करने में सहायता मिलेगी।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अथक प्रयास किया है। हमें सफलता भी मिली है लेकिन उतनी नहीं, जितनी कि मिलनी चाहिए थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1951-56, 1974-79) तक परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कुल 771.82 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) में परिवार नियोजन के लिए 1010.0 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। वर्ष 1980-81 में परिवार नियोजन हेतु 140 करोड़ रुपये एवं 155 करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा 1982-83 हेतु 245 करोड़ रुपये व्यय करने हेतु स्वीकृत किए गए हैं।

वर्ष 1956 एवं वर्ष 1979 के बीच कुल 2.8 करोड़ स्त्री एवं पुरुषों की नसबन्दी की गई। वर्ष 1956-61 में परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों को अपनाकर 0.2 प्रतिशत प्रजनन क्षमता को रोका गया। इसी प्रकार वर्ष 1961-66, 66-69, 69-74 एवं 74-79 के दौरान क्रमशः 30.5 प्रतिशत, 8.7 प्रतिशत, 16.5 प्रतिशत तथा 24.5 प्रतिशत प्रजनन क्षमता को रोका गया। 31 दिसम्बर, 1980 तक 327.3 लाख बन्ध्याकरण एवं 8.56 लाख लूप लगाए गए। 31 मार्च, 1982 तक 361.8 लाख बन्ध्याकरण किया गया। 31 मार्च 1982 तक सन्तानोत्पत्ति करने योग्य अनुमानतः 11.88 करोड़ युगलों में से, जिनकी पत्नियों की गर्भधारण आयु अर्थात 15 से 44 वर्ष के बीच थी, 22.8 प्रतिशत युगल परिवार कल्याण से किसी न किसी अनुमोदित तरीके द्वारा सन्तानोत्पत्ति से बचे थे। वर्ष 1980-81 के दौरान नवम्बर 1980 तक लगभग 2.06 लाख एवं 1981 तक 3.85 लाख गर्भ समाप्त किए गए। वर्ष 1972 में चिकित्सा के माध्यम से गर्भ समाप्त करने सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ होने से नवम्बर 1980 तक 10 लाख 79 हजार गर्भ समाप्त किए गए। प्रोग्राम के शुरू होने से अब तक 22 लाख गर्भ समाप्त किए जा चुके हैं। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) तक 2.2 करोड़ बन्ध्याकरण का अनुमान है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का ही प्रभाव है कि जहां वर्ष 1949–50 में जन्मदर 16.2 प्रति हजार थी वही घटकर वर्ष 1980 में 12.9 प्रति हजार हो गई। इस में कोई सन्देह नहीं भारत उन प्रमुख देशों में से पहला देश है, जिसने जनसंख्या पर नियंत्रण महत्व को पहचाना और परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया।

परिवार-नियोजन की प्रगति हेतु सुझाव

(1) उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में आशानुकूल प्रगति हुई है लेकिन परिवार नियोजन की जो सुविधाएं शहरों में विद्यमान हैं अगर वही सुविधाएं भारत के सभी गांवों में पहुंचा दी जाएं तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जन्मदर घटकर 8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। चूंकि लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है इसलिए यदि हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है तो हमें 80 प्रतिशत गांवों में रहने वाली जनसंख्या की ओर ध्यान देना होगा न कि 20 प्रतिशत शहर में रहने वाली जनसंख्या पर।

(2) बढ़ती हुई जनसंख्या के बोझ से ऊबकर आज ग्रामवासी भी नियोजित परिवार की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं लेकिन ग्रामवासी सुविधाओं के अभाव एवं संकोच के कारण आपरेशन कराने में असमर्थ हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि लेप्रोस्कोपिक विधि से स्त्रियों का आपरेशन करने के लिए जहां भी शहरों में कैम्प लगाया जाता है तो हजारों की भीड़ लग जाती है, भीड़ को नियन्त्रित करने हेतु पुलिस तक की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसका प्रमुख कारण है कि इस विधि से आपरेशन द्वारा स्त्रियां मात्र 3 या 4 घंटे में मुक्ति पा जाती हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इसी विधि द्वारा आपरेशन करने हेतु हर गांव में कैम्प लगाए जाएं तो जनसंख्या वृद्धि को अधिक सीमा तक नियोजित किया जा सकता है। क्योंकि ग्रामीण औरत बड़े आपरेशन के भय से मानसिक रूप से अधिक बच्चों के न होने की कल्पना पर इच्छा रखते हुए भी आपरेशन नहीं करा पातीं।

(3) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु चालू कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि अधिकारी से लेकर छोटे दर्जे के कर्मचारी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर, इमानदारी के साथ सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु चालू कायक्रमों का मुस्तैदी से पालन करें तभी गांव का विकास सम्भव है।

(4) ग्रामवासियों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए देश के आर्थिक साधनों का पूर्ण उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने एवं उचित वितरण करने की व्यवस्था की जरूरत है। जब ग्रामवासियों का रहन-सहन ऊंचा होगा, तो जन्मदर में कमी होगी और भविष्य में जनसंख्या को कम करने में सहायता मिलेगी।

(5) गांव में विवाह आयु लड़कियों की 21 एवं लड़कों की 25 वर्ष का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

(6) ग्रामवासियों के मनोरंजन हेतु गांवों में रेडियो, समाचार पत्रों आदि मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि काम करने के बाद दिन भर की थकान मिटा सकें। इससे यह लाभ होगा कि जो ग्रामवासी अपनी थकान 'सैक्स' के जरिए मिटाते हैं वे मनोरंजन के साधनों की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकेंगे।

(7) गांवों में परिवार नियोजन के प्रचार एव इसके लाभ को समझाने हेतु प्रत्येक ग्राम सभापति का सहारा लेना चाहिए जो अपने ग्राम सभा के लोगों को उचित सलाह देकर आपरेशन कराने हेतु तैयार कर सकें एवं जनसंख्या नियत्रंण हेतु लूप, गर्भ निरोधक दवाइयों आदि का प्रबन्ध कर सकें।

(8) गांवों में नियुक्त किए गए जन-स्वास्थ्य रक्षक यदि अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए तन-मन से जुटकर परिवार नियोजन कार्यक्रम की विधियों को ग्रामवासियों को समझाए तो समस्या का कारगर हल निकल सकता है।

(9) अधिकांश शिक्षित मनुष्यों की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना होगा कि वे शहरों में न जाकर अपने गांवों के ही सर्वांगीण विकास में अपने श्रम व बुद्धि–विवेक का उपयोग करें, जिससे गांव शहर में परिवर्तित हो सकें व देश का सर्वांगीण विकास हो सके।

आज हमें, तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि गांवों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कड़ाई से लागू किया जाए, गांवों में परिवार नियोजन हेतु कितनी भी योजनाएं एवं कार्यक्रम बना लिए जाएं, उनके उचित क्रियान्वयन के अभाव में उनके परिणाम कभी भी अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकने में समर्थ नहीं हो सकते। आज जनसंख्या वृद्धि की समस्या से पूरा देश त्रस्त है। इसलिए हमें चाहिए कि गांवों में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन कर एवं समाधान हेतु एक निश्चित हल ढूंढें, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके समस्त ग्रामीण अंचलों का विकास किया जा सके।□

ई० 11/7, शास्त्री नगर,
सिगरा, वाराणसी।

"कुरुक्षेत्र" पत्रिका ग्रामीण विकास पर चर्चा के लिए एक मंच है जिसके जरिए ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में ताजा और उपयोगी जानकारी दी जाती है। अपने सुधी पाठकों से यह अपेक्षा है कि वे अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव भेजें।

सम्पादक

गांवों में ऊर्जा क्रान्ति के बढ़ते कदम

प्रो० ओ० पी० तोषनीवाल

एवं

प्रो० जे० पी० गर्ग

यों तो ग्रामीण जीवन से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं परन्तु वर्तमान समय में जिस समस्या का समाधान करने में सरकार विशेष रुचि ले रही है वह है ऊर्जा समस्या । इस समस्या के समाधान में ही बेरोजगारी, प्रकाश, ईंधन व अनेक कृषि उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान निहित है । इस बात की सत्यता को सहज ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक प्रगति के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की सप्लाई का विशेष महत्व है । अतः विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जलाने की लकड़ी, गोबर, कृषि अन्य व्यर्थ पदार्थ आदि परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से लेकर कोयला, तेल, जलविद्युत तथा परमाणु ऊर्जा जैसे आधुनिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग मनुष्य अपने औद्योगिक विकास के लिए कर रहा है। आज विश्व की ऊर्जा की दो तिहाई मांग ऊर्जा के दो रूपों— गैस और तेल से पूरी होती है । परन्तु पैट्रोलियम उत्पादकों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तथा इनकी उपलब्धि की व्यवस्था भी अनिश्चित है जिसके कारण ऊर्जा के क्षेत्र में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है अतः प्रत्येक देश अपने तरीके से संकट का समाधान करने में लगा हुआ है ।

विश्व के ऊर्जा क्षेत्र में होने वाले तीव्र परिवर्तनों से हमारा देश भी अप्रभावित नहीं है । तेल की कीमतों में हुई भारी वृद्धि ने हमारे आयात बिल को कई गुना बढ़ा दिया है । अतः व्यापार सन्तुलन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्म निर्भरता प्राप्त करने के प्रयास तीव्र हुए हैं । इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमूल्य गोबर को उपलों तथा निरूपयोगी कृषि उत्पाद को खाना बनाने में जलाकर नष्ट कर देने की बजाय उनका खाद के रूप में अधिक लाभप्रद उपयोग करने के लिए गोबर गैस संयन्त्रों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने का अभियान राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है जिससे भोजन पकाने के लिए ईंधन भी प्राप्त हो सकेगा साथ ही घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयुक्त की जाने वाली विद्युत का भार भी घटेगा ।

उत्तर प्रदेश में पशु धन बाहुल्य को देखते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बायोगैस का समुचित विकास किया गया है । वर्ष 1981-82 में बायो गैस सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत 11748 संयन्त्रों की स्थापना की गई थी जबकि 10000 संयत्र स्थापित करने का लक्ष्य था ; ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयन्त्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है परन्तु इस सन्दर्भ में कुछ विद्वानों का मत है कि गोबर गैस संयन्त्र का लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सामूहिक संयंत्र गांव में लगाए जाएं । उक्त मत को मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग ने भारत सरकार द्वारा पोषित अखिल भारतीय समन्वित बायोगैस प्रायोजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जनपद के ग्राम जैनपुर में सामुदायिक गोबर गैस संयन्त्र की स्थापना की । ग्राम जैनपुर विकास खण्ड गुलावठी के अन्तर्गत आता है तथा बुलन्दशहर से 10 किलोमीटर दूर बुलन्दशहर मेरठ राजमार्ग पर स्थित है । गांव की कुल जनसंख्या 770 है जो 120 परिवार में सिमटी हुई है स्थापित संयन्त्र के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

गैस उत्पादन प्रतिदिन	90 घन मीटर
विद्युत उत्पादन प्रतिदिन	10 किलोवाट
गोबर की आवश्यकता प्रतिदिन	21 क्विन्टल
सम्भावित लाभार्थी परिवार	120
अनुमानित लागत	5 लाख 80 हजार
संयन्त्र का डिजाइन	भूमिगत सीमेंट कंकरीट डोमयुक्त

उक्त सामुदायिक गोबर गैस संयन्त्र से मिलने वाली स्थानीय सुविधाएं निम्नवत हैं :—

मार्ग प्रकाश व्यवस्था व घरेलू विद्युत

संयन्त्र से प्राप्त गैस उसकी से एक इंजन चलाया जा सकता है जिसकी मदद से विद्युत उत्पादन के लिए एक

(शेष पृष्ठ 9 पर)

हमारे देश की दो-तिहाई महिला जनसंख्या ग्रामीण है। इसके वांछित स्वतन्त्रता सम्बन्धी जो लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजना में प्रलेखित हैं, वे विशिष्ट प्रकार की सामाजिक उपयोगिता एवं महत्व के हैं। हाल के वर्षों से जिस समाज के लिए प्रौद्योगिकी दी जानी है, उसके अनुरूप प्रकार (सरल देशज प्रौद्योगिकी, मध्यम प्रौद्योगिकी) की तकनीकों का सम्प्रेषण, अभिज्ञान-अंगीकरण का प्रयास चल रहा है। ऊर्जा प्रबन्ध एवं पर्यावरण विषय को ग्रामीण महिलाओं के समन्वित विकास हेतु देखना आवश्यक है। ऊर्जा प्रबन्ध और पर्यावरण उन्नयन दोनों परस्पर जुड़े हुए अनन्योश्रित हैं जिन्हें समुदाय के चतुर्मुखी विकास के लिए सामने रखकर

विकसित देश में ऊर्जा और मजदूरों की जरूरत करने वाली तकनीकों की नकल करने से उन्हें नुकसान हुआ है।"

—श्रीमती इन्दिरा गांधी, फ्रैंक मैकडूगल स्मृति व्याख्यानमाला, 9 नवम्बर, 1981, रोम।

ऊर्जा के परम्परागत स्रोत : ईंधन और स्त्रियों का कार्यभार :

एशिया के ईंधन का परम्परागत स्रोत लकड़ी और उपले हैं। एशिया में 62 प्रतिशत, अफ्रीका में 57 प्रतिशत, दक्षिण अमेरिका में 37 प्रतिशत, यूरोप में 2 प्रतिशत लकड़ी एवं पशुओं के गोबर से मिलने वाली ऊर्जा है।

तथा कण्डे बनाने पड़ते हैं। समृद्ध परिवार पशुपालक जातियों से उपले या कण्डे क्रय करते हैं। देहात में वर्षा के दिनों में ईंधन का संरक्षण करना निर्धन परिवारों के लिए एक समस्या होती है।

देहात में पहले से ईंधन का बेतरतीब इस्तेमाल होता रहा है। भविष्य में होने वाले ईंधन संकट की ओर ऊर्जा नीति समिति (1978) ने ध्यान आकृष्ट कराया है, जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में प्राथमिकता मिली है। ज्ञातव्य है कि वनों के उन्मूलन से ईंधन (परम्परागत) खत्म हो रहा है। हमारे देश में वन का क्षेत्रफल 22.7 प्रतिशत है जिसे राष्ट्रीय वन नीति के के अनुसार 33.3 प्रतिशत होना चाहिए।

ग्रामीण महिलाओं के लिए ऊर्जा प्रबन्ध एवं पर्यावरण सम्बन्धी ज्ञान

राधेश्याम त्रिपाठी

किया जाने वाला "वेसिकनीड एप्रोच" का विषयवस्तु बताया जाता है।

ऊर्जा प्रबन्ध में स्त्रियों की भूमिका दृष्टव्य है :—

"रोजगार पर उनके प्रभाव और अन्य सामाजिक परिणामों को बिना अच्छी तरह समझे प्रौद्योगिकी के उपयोग से कष्ट ही होता है। लोग विशेषकर ग्रामीण औरतें अपने पारस्परिक धन्धे से छुटकारा पा जाती हैं। लाखों औरतें फल और सब्जी बेचकर खेती के उत्पादों को संसाधित करके और अन्न सूखा और जमा करके अपने जीविका चलाती हैं। आम तौर पर वे ही ऊर्जा प्रबन्ध के पूरे क्षेत्र का प्रबन्ध करती हैं। वे कृषि और जानवरों के अवशिष्ट कबाड़ उपयोग करके या कटाई के बाद ऊर्जा का प्रबन्ध देखती हैं।

ऊर्जा नीति समिति के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा ईंधन लकड़ी एवं जानवरों के गोबर हैं, जिसमें 68 प्रतिशत उपले के रूप में जानवरों का गोबर घर के पशुओं से प्राप्त होता है। देहात में महिलाएं प्रातः निकल कर बंजर भूमि, कृषि योग्य उजाड़ भूमि, ग्राम के बाहर बगीचों में, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए लकड़ियों एवं नहरों के किनारे उगे वृक्षों की सूखी टहनियों, गिरे पत्ते एकत्र करती हैं।

निर्धन वर्ग की स्त्रियों को प्रतिकूल मौसम में भी जाकर ईंधन व चारा लाना पड़ता है। ग्राम के समृद्ध परिवार लकड़ी कटवाकर भण्डारण कर लेते हैं – जिन परिवारों के पास पशु नहीं हैं उनकी स्त्रियों को गोबर एकत्र करना

दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता राज्यवार वन का असमान क्षेत्रफल होना है। जैसे अरूणाचल प्रदेश में 97 प्रतिशत वन का क्षेत्र है, जबकि उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत, बिहार में 17 प्रतिशत है। राज्य-वार पर्यावरण एवं ऊर्जा सम्बन्धी समस्याएं भिन्न-भिन्न हैं।

ऊर्जा सम्बन्धी प्रोद्योगिकी जटिल होती है। ग्रामीण समाज के लिए ऊर्जा स्रोतों (सूर्य पृथ्वी) के प्रति सांस्कृतिक लगाव होते हैं। पूंजी नहीं श्रम प्रधान तकनीक से ऊर्जा की व्यवस्था होना उचित है। ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा प्रबन्ध के निचले स्तर 'उपभोग' पर अधिक देखना है कि वे जाने कि—

—ईंधन अवशिष्ट का दुबारा उपयोग कैसे किया जा सकता है?

—जलावन लकड़ी का सुरक्षित भण्डारण किस प्रकार करना चाहिए ?

—घरेलू कार्य में विद्युत बचत करना ।

—सुलभ शौचालय (पिट) की सफाई कैसे रहनी चाहिए ?

—धुएं से बचाव एवं बेकार पानी की निकासी किस प्रकार करना हो ।

उपरोक्त सभी ऊर्जा प्रबन्ध के 'प्राथमिक क्षेत्र हैं', जिसकों ऊर्जा प्रबन्ध प्रशिक्षण, शिविर, महिला मंगल संगोष्ठी द्वारा दिया जाना चाहिए ऊर्जा प्रबन्ध का संस्थापन विकास "ऊर्जा प्रयोगशाला" से ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिलाओं तक होना आवश्यक है। क्योंकि ऊर्जा की खपत के जो क्षेत्र हैं उनमें स्त्रियों की सीधी भूमिका है ।

गोबर गैस (घरेलू उपयोग) के लिए छठी योजना में 10 लाख संयन्त्र लगाए जाने के मद में 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं । सामुदायिक गोबर गैस प्लांट से निर्धन वर्ग की महिलाएं भी अपने श्रम की बचत करके अधिक दिन रोजी कमा सकती हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 46,000 ग्रामों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बीहड़ में बसे गांवों की महिलाओं को उनके दैनिक आवश्यकता बिजली हेतु सुलभ हो पाएगी ।

बायोगैस : कुछ परिणाम

दिल्ली के निकट मसूदपुर ग्राम (महरौली) में सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगने से 72 परिवारों को कुकिंग गैस, सिंचाई पम्प के लिए विद्युत, पनचक्की एवं खाद उपलब्ध हो रहा है । इस ग्राम की महिलाएं अधिक प्रसन्न हैं । जलावन लकड़ी लाने के लिए उन्हें 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती थी । शौच के लिए ग्राम से बाहर काफी दूर जाना पड़ता था । इसके लिए 20 शौचालय का निर्माण किया गया अब ग्राम की आवश्यकता हेतु 7.5 किलोवाट विद्युत प्राप्त होती है । स्त्रियों की आय एवं समय दोनों पर्याप्त मिलने लगा है। इस प्रोजेक्ट को 'एडीशनल सोर्सेज आफ इनर्जी' ने पूरा किया है । ग्राम की पनचक्की का निर्माण इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टैक्नालाजी, इलाहाबाद ने तैयार किया। इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर के अप्लीकेशन आफ साइंस एण्ड टैक्नालाजी फार रूरल एरियाज केन्द्र ने दो बायोगैस प्लांट बंगलौर के निकट 'धुरा' ग्राम में बैठाए हैं। बायोगैस के रसोई में प्रयोग करने का ज्ञान महिलाओं को एवं नवयुवकों को प्लांट की देख–रेख के लिए जानकारी दी गयी। इससे महिलाओं का समय तीन गुना कम ईंधन संग्रह तथा भोजन बनाने में पहले की अपेक्षा एक चौथाई समय लगता है ।

सामाजिक वानिकी

ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन की समस्या के समाधान हेतु यह राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया है इससे महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से रेशम, कीटपालन, कागज की लुगदी बनाने, महुआ और नीम का फल संग्रहण, गोंद कत्था एकत्र करने में आय प्राप्त होगी । साथ ही वातावरण की शुद्धता बनी रहेगी । विकास खण्ड स्तर पर सामाजिक वानिकी नर्सरी में मजदूर महिलाओं को काम मिलता है जो विभिन्न अप्रयुक्त भूमि पर पेड़ लगाने में मदद करती है ।

नए बीस सूत्री कार्यक्रम के आठवें उद्देश्य के रूप में लिया गया है "वन रोपण कार्यक्रम" को पूरी निष्ठा से चलाया जाए। सार्वजनिक उपयोग एवं बागवानी तथा बायो गैस ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए ।

सामाजिक सुरक्षा एवं पर्यावरण—गांवों में महिलाएं मुंह अन्धेरे खुले खेतों में शौच के लिए जाती हैं । घातक जानवरों से भय, बरसात में बाहर निकलने की समस्या, सभी सुरक्षा के प्रश्न पर्यावरण शुद्धता के साथ जुड़े हैं । ग्रामीण शौचालयों के निर्माण से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है ।

ग्रामीण महिलाओं को आवास सम्बन्धी सफाई तथा बागवानी लगाने का काम अपेक्षित तथ्य है । सामग्री के टिकाऊपन का ज्ञान, बाह्य शत्रुओं से रख–रखाव सम्बन्धी विचार देने के लिए महिला मंगलदल कार्य कर सकता है । प्रायः जिन गांवों की सघन आबादी है मकान सटकर बने हैं और महिलाओं को अंधेरे में कोने में खाना बनाना पड़ता है, धुआं बाहर नहीं निकल पाता, इससे ग्राम का पर्यावरण स्तर समुन्नत नहीं रहता । धुआं रहित चूल्हों का उपयोग बढ़ाना होगा ।

ऊर्जा प्रबन्ध ज्ञान के सम्प्रेषण की समस्याएं

परिवार प्रणाली, सामाजिक पृष्ठभूमि (जाति), आर्थिक वर्ग स्तर एवं सांस्कृतिक कारक उर्जा विषयक आधुनिक ज्ञान के प्रसार में सामने है, अन्य बाधक कारक हैं जैसे—(1) निरक्षरता, (2) परम्परा से लगाव, (3) अपने को घरेलू महत्व के प्रति चिपटे होने का आग्रह । (4) निर्धनता की संस्कृतिजन्य पूर्वापेक्षा आदि आदि ।

संयुक्त परिवार के घरेलू कार्यों के लिए अधिक ईंधन, जल व साफ सुथरे स्थान की आवश्यकता रहती है । इसी प्रकार "एकल स्त्री परिवार" (सिंगल वूमन हेडेड हाउस होल्ड) की महिला को अपना समय जलावन लकड़ी इकट्ठा करने से लेकर बाकी सभी कामों पर देना पड़ता है ।

ऊर्जा प्रबन्ध व पर्यावरण ज्ञान औपचारिक शिक्षा द्वारा दिया जा सकता है । विशेषकर ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा पाठशाला में पर्यावरण एवं स्थानीय ऊर्जा संसाधन की सूची को उच्च स्तर पर रखना चाहिए । प्रायः तकनीक तथा नए विचार ग्रामीण महिलाओं को नहीं मिलते, जबकि पुरुष आसानी से प्राप्त करते हैं । ऊर्जा प्रबन्ध कौशल का ज्ञान स्थानी एवं पीढ़ी दर पीढ़ी को तो अवश्य संचरित होता है परन्तु आधुनिक सस्ता ईंधन, धुंआ रहित चूल्हा बनाने, पिट खोदने एवं पानी का निकास ठीक रखने के तरीके एवं पूर्व संरचित रक्षा कार्यक्रम के द्वारा दिए जा सकते हैं । ऊर्जा प्रबन्ध (ईंधन, ऊर्जा, बायोगैस, जैव प्रौद्योगिक, सामाजिक वानिकी) को तकनीकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए । देहात में लड़कियों के लिए प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र नगण्य हैं । अतः इसकी संख्या बढ़नी चाहिए ।

पर्यावरण उन्नयन : "चिपको आन्दोलन" में स्त्रियों की सक्रियता सराहनीय है।

ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरण सम्बन्धी प्राथमिक जानकारी में 'क्षेत्रीय पर्यावरण समुन्नता स्थिति' का विवरण अवश्य रहना चाहिए। ग्राम के पन्द्रह कि० मीटर क्षेत्र से लगे उद्योगों से प्रदूषण से बचाव विधियां जानना आवश्यक है। ग्रामीण पर्यावरण की कई समस्याएं नगरीय पर्यावरण से एक दम भिन्न हैं। धुंआ रहित चूल्हा, एवं सीलन विहीन स्थान घर, जल आपूर्ति, स्वच्छ शौचालय सभी पर्यावरण उन्नयन और ऊर्जा प्रबन्ध के 'पकेज कायक्रम' हैं, जिनको ग्रामीण महिलाओं के लिये क्रियन्वित करना होगा। □

शोध छात्र
का० हि० वि०वि०
वाराणसी

गांव में ऊर्जा क्रान्ति के बढ़ते कदम

(पृष्ठ 6 का शेषांश)

जनरेटर को परिचालित होता है। इससे उत्पन्न होने वाली बिजली से गांव के घरों और गलियों को रोशन किया जा सकता। इसके लिए सम्पूर्ण गांव में खम्भे गाड़े हैं इतना ही नहीं गांव के बाहर मुख्य सड़क पर भी प्रकाश हेतु 8 खम्भे गाड़े गए हैं।

2. ईंधन गैस व्यवस्था

भोजन बनाने के लिए इसी संयन्त्र से घरों में प्रतिदिन चार घण्टे गैस सप्लाई की जाती थी जिसके लिए सम्पूर्ण गांव में पाइप लाइन बिछाई थी अब तक गांव में रोजाना एक टन लकड़ी लगती थी जिसकी बचत होती है। शायद आसानी से लोग अपने यहां का गोबर पंचायती काम के लिए न दें इसलिए सरकारी डेयरी फार्मों से गोबर लेकर संयन्त्र में डाला जाता है। उपरोक्त दोनों सुविधाओं—घरेलू विद्युत व ईंधन गैस—के बदले में प्रति परिवार से केवल 15 रुपये प्रति माह लिया जाना था।

3. सहायक सामुदायिक सेवाएं

संयन्त्र की मदद से अन्य सामुदायिक सेवाएं जैसे क्रेशर, आटा चक्की, धान मशीन मक्का मशीन, ट्यूब वैल क्रैशर, तेल घानी मशीन, रूई धुनने की मशीन का संचालन भी किया जाना था। साथ ही ट्यूब वैल की मदद से समस्त परिवारों को पेयजल भी पाइप लाइनों के जरिए उपलब्ध कराया जाना था।

4. स्लरी वितरण प्रणाली

उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त इस संयन्त्र से निकलने वाले अवशेष को खाद के रूप में प्रयोग किया जाना था। संयन्त्र से निकली खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है जो कृषि उपज बढ़ाने और भूमि संरचना को खेती योग्य बनाए रखने में सहायक होती है।

ग्राम जैनपुर के जीवन में अब अन्धेरी रातें जगमगाती चांदनी में बदल गई हैं। ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी व उपले जलाने से जो असुविधा होती है आंखों की ज्योति जिससे प्रभावित होती थी उस दम घोंटू धुएं से छुटकारा मिल रहा है। जिन सुविधाओं के लिए किसानों को नगर की तरफ दौड़ना पड़ता था अब वे सारी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो सकेंगी। जो किसान बिजली विभाग की दया का पात्र बना रहता था अब उसे उसकी दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा शायद उसके भाग्य पर नागरिक पर्यावरण में रहन वाले लोगों को भी ईर्ष्या होगी।

शिक्षित युवकों के लिए

स्वरोजगार की योजना

प्रधान मंत्री ने अपने स्वतन्त्रता दिवस के भाषण की मौलिक कड़ियों में से सुशिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार देने की एक नई योजना की आवश्यकता का उल्लेख किया था। देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए शासन नई योजनाएं चला रहा है। उनमें से कुछ योजनाओं उदाहरणार्थ, सघन ग्रामीण विकास योजना (आई०आर० डी०पी०), ट्राइसेम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन०आर०ई०पी०) का असर भी हुआ है। लेकिन सुशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। केवल नौकरियों द्वारा एक सीमा तक ही शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। अतएव ऐसे शिक्षित उद्यमी बेकार युवक-युवतियों को उद्योग, सेवा-उद्योग एवं व्यापार के जरिये स्वरोजगार के मार्ग उपलब्ध कराने के उपाय उच्च प्राथमिकता पर करना आवश्यक समझा गया है। इस योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्रों की सहायता से बैंकों द्वारा प्रति उद्यमी को 25 हजार रुपये तक अधिकतम मिश्र-ऋण मिलेगा। इसमें 25 प्रतिशत सरकारी उपदान की भी व्यवस्था है। बैंक इस हेतु 160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अग्रिम धन उपलब्ध कराएंगे और शासन द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपये के उपदान की व्यवस्था की जाएगी। एतद् द्वारा मैं इस संबंध में तैयार की गई योजना को सदन के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत करता हूं। हमारी सरकार को आशा है कि शिक्षित बेरोजगार इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्साह-पूर्वक आगे आएंगे।

योजना

उद्देश्य

शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता पैकेज द्वारा अपना उद्योग लगाने, सेवा-उद्योग या व्यवसाय कारोबार शुरू करने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष स्व-रोजगार योजना शुरू की जा रही है।

योजना का शीर्षक

इस योजना का नाम, "शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना" होगा।

लक्ष्य

इस योजना के अन्तर्गत वे सभी शिक्षित बेरोजगार युवक शमिल किए जाएंगे, जिन्होंने मैट्रिक (कक्षा 10 उत्तीर्ण) और इससे ऊंची परीक्षा पास की है, और जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है। इस वर्ग में महिलाओं और प्रशिक्षित कार्मिकों को रोजगार अवसर प्रदान करने में उचित प्राथमिकता और जोर दिया जाएगा। यह योजना उन शिक्षित युवकों, जो अपनी स्वयं की पूंजी जुटाने में असमर्थ हैं, को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए है। अतः यह योजना उन शिक्षित युवकों के लिए नहीं होगी, जिनके पास वित्त के लिए अतिरिक्त-अन्य स्रोत हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समाज के सम्पन्न लोग इस योजना के लाभ को न उठा पाएं।

लक्ष्य का आकार

शुरू में इस योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 से 2,50,000 शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रति वर्ष उद्योग, सेवा उद्योग या व्यवसाय के जरिए स्व-रोजगार प्रदान कराने का लक्ष्य है।

विस्तार

इस योजना को 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख तक की आबादी वाले सभी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

नोडल एजेन्सी

जिला स्तर : जिला उद्योग केन्द्रों को, उनकी वर्तमान सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त, जिला स्तर पर इस योजना के संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। जिला उद्योग केन्द्र, क्षेत्र के अग्रणी बैंकों से परामर्श करते हुए, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे तथा रोजगार योजनाओं को तैयार करने, उनके कार्यान्वयन और मूल्यांकन का कार्य, राज्य सरकारों के मार्गदर्शन से करेंगे। जिला उद्योग केन्द्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थान विशिष्ट योजना तैयार करेंगे, जो वास्तविक मांग-अनुमान पर आधारित होंगी और इन मांग-अनुमानों में विभिन्न उद्योग सेवाओं और परियोजनाओं में उद्यमियों की संख्या आदि का ब्यौरा होगा, जिन्हें किसी विशिष्ट उत्पादन लाइन और सेवाओं में खपाया जा सकेगा। सर्वेक्षण करने, परियोजना बनाने और सम्भावनाओं के निर्धारण करने में, संबंधित लघु उद्योग सेवा संस्थान, जिला उद्योग केन्द्रों की सहायता करेंगे।

कार्यान्वयन

इस योजना के कार्यान्वयन की सर्वोपरि जिम्मेदारी, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की होगी। इस कार्य में, आर्थिक कार्य विभाग का बैंकिंग प्रभाग तथा राज्य संघशासित क्षेत्र की सरकारों के उद्योग विभाग उनकी सहायता करेंगे। योजना के क्रियान्वयन में, लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की पहचान, विशिष्ट उप-व्यवसायों का चयन, आवश्यकतानुसार उद्यमियों का प्रशिक्षण, लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक समर्थन प्रणाली का जुटाना, बैंकों और उद्योग, व्यापार और उद्योग सेवा-क्षेत्र से संबंधित अन्य स्थानीय एजेन्सियों के साथ निकट सम्बन्ध एस्कार्ट सेवाएं आदि बातें शामिल होंगी। जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर एक कार्यदल होगा। महाप्रबन्धक इसके अध्यक्ष होंगे तथा जिला

[illegible] अग्रणी बैंक और क्षेत्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान के एक-एक प्रतिनिधि तथा जिला रोजगार अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। इस कार्यदल को निम्न कार्यभार सौंपे जाएंगे :

(1) उद्यमियों का चयन व अभिप्रेरण (2) व्यापार, सेवा-स्थापनाओं और कुटीर तथा लघु उद्योगों की पहचान तथा उससे संबंधित योजनाएं तैयार करना (3) प्रत्येक उद्यमी के लिए, उप व्यवसायों गतिविधियों को निर्धारित करना (4) उद्यमियों के लिए ऋण की सिफारिश करना तथा (5) संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी शीघ्र प्राप्त करना।

जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर इस योजना का पर्याप्त प्रचार किया जाएगा तथा सीधे आवेदन मंगाए जाएं। उद्यमी, जिला उद्योग केन्द्रों को सादे कागज पर आवेदन भेजेंगे।

वित्त

(क) बैंकों से मिश्र (कम्पोजिट) ऋण : जिला उद्योग केन्द्र के कार्यदल द्वारा लाभार्थियों की पहचान तथा उनकी परियोजनाओं को व्यावहारिक सही पाए जाने पर बैंक प्रत्येक उद्यमी को 25,000 रुपये तक का मिश्र ऋण प्रदान करेंगे। बैंक मार्जिन मनी के रूप में मालिक के अंशदान या समर्थन-जमानत की मांग नहीं करेंगे।

(ख) सरकारी सहायता : सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता, पूर्णतया पूंजीगत उपदान (आउट-राइट कैपिटल सब्सीडी) के रूप में होगा और यह उपदान, उद्यमियों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण के 25 प्रतिशत तक होगा। ऋण वितरण के पश्चात ही बैंकों को उपदान दिया जाएगा। तथापि, उपदान की यह राशि उधार लेने वाले को नहीं दी जाएगी। उपदान-राशि उधारकर्ता के नाम मियादी जमा के रूप में सम्बन्धित बैंक में रखी जाएगी और इस पर सम्बन्धित मियादी ब्याज भी लगेगा। परियोजना की कुल वित्तीय आवश्यकता, बैंकों द्वारा मिश्र-ऋण (सावधिक ऋण-कार्यशील पूंजी) के रूप में पूरी की जाएगी। ऋण की राशि के तीन-चौथाई भाग के वापस प्राप्त हो जाने पर, शेष एक चौथाई भाग को बैंकों द्वारा उधारकर्ता के जमा खाते में समायोजित कर लिया जाएगा। बैंक ऋण से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को ऋण की पूरी वसूली होने तक, बैंक में बंधक रखा जाएगा। ऋण की अदायगी सम्बन्धी यदि कोई गम्भीर चूक है, तथा देय राशि वसूल हो जाती है तो बैंक की देय-राशि मिल जाने के बाद, यदि कोई राशि बचती है, तो यह राशि सरकारी खाते में डाल दी जाएगी।

(ग) ब्याज की दर : पिछड़े क्षेत्रों में ब्याज की दर, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी और अन्य क्षेत्रों में यह दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

(घ) राशि की वापसी : राशि की वापसी आसान किस्तों में की जाएगी और ये किस्तें 6-18 महीने तक की प्रारम्भिक स्थगन अवधि के पश्चात् शुरू होगी। किस्तों की अदायगी धन्धे के स्वरूप एवं मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 3 से 7 वर्षों में की जाएगी।

(ङ) वसूली : ऋण की राशि की वसूली का उत्तरदायित्व, संबंधित बैंकों का होगा। स्थानीय बैंक प्रबन्धकों को वसूली की चूक के मामलों में कार्यवाही करते समय पर्याप्त छूट दी जाएगी ऋण की अदायगी में यदि पर्याप्त कारणों वश व्यावधान पड़े तो ऋण अदायगी की किस्त व अवधि पर पुनर्विचार अपेक्षित होगा।

प्रशिक्षण

बहुत से शिक्षित बेरोजगारों को वितीय प्रबन्ध, लेख, सम्पति सूची प्रबन्ध आदि के बारे में कुछ प्रारम्भिक जानकारी हो सकती है, अतः उद्योग क्षेत्र के अलावा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सामान्यता अन्य क्षेत्रों में जरूरत नहीं होगी, तथापि उन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए, जिन्हें उपकरण के चयन और उनके इस्तेमाल के बारे में कुछ प्रशिक्षण और सलाह की जरूरत है, राज्य सरकारें अपने बजट से आई० टी० आई० पोलीटैक्निकों आदि के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। लघु उद्योग सेवा संस्थान और जिला उद्योग केन्द्र तथा आवश्यकतानुसार सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का समन्वय करेंगे।

अन्य निविष्टियां (इनपुट्स)

व्यापार और सेवा उद्योगों के लिए स्थानों की व्यवस्था, राज्य नगर पालिका प्राथमिकारियों द्वारा प्राथमिकता पर की जाएगी। जो स्व-रोजगार के लिए औद्योगिक मार्ग को चुनते हैं, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक बस्तियों में आवश्यकतानुसार उपयुक्त शेडों और भूमि का आवंटन करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां मशीनरी और उपकरणों की आवश्यकता हो, वहां ये यथासंभव राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और संबंधित राज्य एजेन्सियों द्वारा किराया खरीद आधार उपलब्ध कराये जाने चाहिए। भूमि, शेडों और मशीनरी-ऋणों की किश्तें पूंजीगत-निवेश का एक भाग होगी। इसी प्रकार ऋण का कुछ हिस्सा संचालन-पूर्व के खर्चों के लिए उपलब्ध रहेगा।

मूल्यांकन

जिला उद्योग केन्द्र, प्रत्येक क्षेत्र, अर्थात उद्योग और व्यापार के उद्यमियों के सम्बन्ध में जिला स्तर पर इस योजना कार्यान्वियन और मूल्यांकन करेंगे और जिले के विभिन्न बैंक अपनी शाखाओं द्वारा स्वीकृत आवेदनों (क्षेत्रवार) के बारे में, एक मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला उद्योग केन्द्रों को भेजेंगे। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विकास आयुक्त लघु उद्योग को जो भेजी जाने वाली मासिक प्रगति पत्रकों में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल होंगी – शिनाख्त किए गए (क्षेत्रवार) लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या, भेजे गए प्रकरणों की संख्या (क्षेत्रवार), उद्योग, सेवा उद्योग और व्यापार के बारे में अलग-अलग से तैयार की गई परियोजना पत्रकों की संख्या अनुशासित और बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि (क्षेत्रवार) और उन लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या,

(शेष पृष्ठ 23 पर)

ग्रामोत्थान की दिशा में विद्युतीकरण

अलकेश त्यागी

विगत तीस वर्षों के सुनियोजित विकास से भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बहुत अन्तर आ गया है। विकास के फलस्वरूप उत्पन्न क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार ने आवश्यकतानुसार 1975 में घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम का नवीनीकरण कर दिया है। इस नए कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 14 जनवरी 1982 को राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने सन्देश में की।

नए बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र नं० 11 में बिजली का उत्पादन बढ़ाने, बिजली संस्थानों के काम काज को बेहतर बनाने एवं सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना है। योजनाओं तथा कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ इच्छित वर्ग एवं लोगों तक पहुंचाने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी योजना की अवधि में भी चलने वाले इस कार्यक्रम के आठ लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है ग्रामीण विद्युतीकरण।

ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता

ग्रामीण क्षेत्रों के बहुमुखी सम्पूर्ण विकास की प्रक्रिया में बिजली की विशेष भूमिका है। बिजली केवल सिंचाई माध्यमों से कृषि उत्पादन की वृद्धि में ही सहायक नहीं है अपितु लघु कुटीर उद्योगों, ग्रामोद्योगों तथा कृषि उद्योगों और इन उद्योगों पर आधारित अन्य क्रियाकलापों की स्थापना एवं विकास में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अधिक उद्योगों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न रोजगार के अवसर शहरों पर बढ़ते हुए आबादी के दबाव को कम करने में सहायक होंगे। गांवों के आंशिक एवं मौसमी बेरोजगारों की समस्या का समाधान भी हो सकेगा। जनजीवन की आम सुविधाएं, संचार के माध्यम तथा नई तकनीकें ग्रामीण समाज के द्वार पर दस्तक देने लगेंगी। गांवों में प्रकाश पहुंचाने के साथ-साथ उनकी आर्थिक अवस्था को विकासोन्मुख करने में विद्युत का योगदान निर्द्वन्द है।

ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश के लगभग 1500 गांवों में बिजली की पहुंच थी और लगभग 6,430 विद्युत चालित नलकूप/पम्पसेट थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1950-51) के प्रारम्भ में विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या 3061 एवं ऊर्जायित पम्पसेटों की संख्या 21,008 थी। प्रगतिशील और तीन दशकों के निरन्तर प्रयासों से आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यह आवश्यकता कितनी बड़ी है इसका अनुमान इसी से हो जाता है कि यह देश के 5,76,126 गांवों में रहने वाली 80% जनसंख्या की आवश्यकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 1979-80 तक 2.50 लाख गांवों में बिजली पहुंचाई गई तथा मार्च 1983 के अन्त तक देश के कुल 3,20,982 ग्रामों में बिजली पहुंच जाने से देश के 55.7% ग्रामों में रहने वाली 70% से अधिक जनसंख्या लाभान्वित हुई है। मार्च 1983 तक दश भर में 49,61,019 पम्पसेटों को विद्युत प्रदान की गई जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ सके हैं। तालिका नं० 1 से हमें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की उपलब्धियों का पता चलता है।

तालिका–1

दिनांक विभिन्न योजनाएं	कुल प्रगति	
	विद्युतीकृत ग्राम	ऊर्जीकृत पम्पसेट
1-4-51 प्रथम योजना	3,061	21,008
1-4-56 द्वितीय योजना	7,294	56,058
1-4-61 तृतीय योजना	21,754	1,98,904
1-4-66 वार्षिक योजनाएं	45,143	5,12,756
1-4-69 चतुर्थ योजना	73,739	10,88,894
1-4-76 पांचवीं योजना	1,56,729	24,26,133
1-4-78 वार्षिक योजना (78-79)	2,16,863	32,99,901
1-4-80 छठी योजना	2,49,799	39,65,828
1-4-81 वार्षिक योजना (81-82)	2.72,625	43,30,437
1-4-83 वार्षिक योजना (83-84)	3,20,003	49,61,019

विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण की अवस्था

देश के तीन राज्यों केरल, हरियाणा, पंजाब तथा तीन केन्द्र शासित प्रदेशों चण्डीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में शत प्रतिशत विद्युतीकरण है। तमिलनाडु के 99.4% गांवों तक तथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर

और महाराष्ट्र के 75% से अधिक गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। कर्नाटक भी 60% के निर्धारित लक्ष्य से आगे है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को अधिक सशक्त रूप से लागू करने की जरूरत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में है। विभिन्न राज्यों में 31-3-83 तक विद्युतीकरण ग्रामों का विवरण तालिका नं० 2 में दिया गया है।

तालिका : 2 31–3–83 तक की स्थिति

क्रम सं० राज्य	कुल ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत
1. आन्ध्र प्रदेश	27,221	20,661	75.9
2. असम	21,995	6,892 (क)	31.3
3. बिहार	67,566	29,187	43.2
4. गुजरात	18,275	14,030	76.8
5. हरियाणा	6,731	6,731	100.0
6. हिमाचल प्रदेश	16,916	12,794	75.6
7. कर्नाटक	26,826	18,381	68.5
8. जम्मू एवं कश्मीर	6,503	5,214	80.2
9. केरल	1,268	1,268	100.0
10. मध्य प्रदेश	70,883	32,838	46.3
11. महाराष्ट्र	35,778	30,866	86.3
12. मणिपुर	1,949	427	21.9
13. मेघालय	4,583	997	21.8
14. नागालैंड	960	515	53.6
15. उड़ीसा	46,992	21,280	45.3
16. पंजाब	12,188	12,126 (ख)	100.0
17. राजस्थान	33,305	16,708 (ग)	50.2
18. सिक्किम	405	112	27.7
19. तमिलनाडु	15,735	15,636	99.4
20. त्रिपुरा	4,727	1,500	31.7
20. उत्तर प्रदेश	1,12,561	53,367	47.4
22. पश्चिमी बंगाल	38,074	17,594	46.2
कुल राज्य	5,71,441	3,19,124	55.8
कुल केन्द्र शासित प्रदेश	4,685	1,858	40.0
कुल	5,76,126	3,20,982	55.7

(क) 30-11-1982 तक की स्थिति।

(ख) 62 गांवों को निर्जन घोषित कर दिया गया है।

(ग) 28-2-1983 तक की स्थिति।

योजनाएं एवं प्रयास

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर 301 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है जो कि पिछली योजना के अन्तर्गत किए गए खर्च से 164 करोड़ रुपये अधिक है। इनमें से 160 करोड़ रुपये अधूरे कामों पर व 141 करोड़ रुपये नए कार्यक्रमों पर खर्च किए जायेंगे। गांवों एवं हरिजन बस्तियों की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों तथा हरिजन बस्तियों तक बिजली पहुंचाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस योजना की अवधि में देश के 1,15,165 गांवों तक बिजली पहुंचाने तथा 25 लाख विद्युत चालित नलकूप/पम्पसेट लगाने का कार्यक्रम है।

ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बिजली की आवश्यकता और खपत को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक से अधिक बढ़ाने की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चालू योजना के दौरान बिजली उत्पादन 19,666 मगावाट बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस दिशा में सतत प्रयासों के परिणाम-स्वरूप ही बिजली उत्पादन व बिजली खपत के बीच की दूरी समय के साथ-साथ कम होती आ रही है। यह अन्तर 1980-81 में 12.6% था जो 1981-82 के दौरान घट कर 10.8% रह गया। गत वित्त वर्ष 1982-83 के दौरान यह अन्तर केवल 9.2% रह गया है।

जल विद्युत इकाइयों, जिन्हें कि मिनी हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है का विकास भी बीस सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है। इस प्रकार की परियोजनाएं सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकता पूर्ति करने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम तथा प्रभावी सिद्ध होगी। इस समय देश भर म 103 माइक्रो/लघु जल विद्युत योजनाएं (15 मेगावाट की स्थापित क्षमता तक) काम कर रही हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 150 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त 112.5 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 43 लघु जल विद्युत योजनाएं निर्माणाधीन, 155 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 35 योजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन हैं। कुल 175.65 मेगावाट की क्षमता वाली 59 ऐसी योजनायों पर अन्वेषण कार्य चल रहा है।

देश में जल स्त्रोतों से बिजली उत्पादन की पर्याप्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार जम्मू व कश्मीर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में जल विद्युत के अन्वेषण के कार्यक्रम म भी भाग ले रही है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, केन्द्रीय जल आयोग तथा उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम इन कार्यों को पूरा कर रहे हैं। कच्छ में ज्वारीय लहरों से विद्युत उत्पन्न करने की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है। नहरों के गिरने से बिजली उत्पादन की योजना भी विचाराधीन है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसका गठन 1969 में

रिजर्व बैंक द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशों पर किया गया था।इसका उद्देश्य केवल गांवों तक प्रकाश पहुंचाना नहीं है बल्कि उनके सर्वमुखी विकास की प्रक्रिया को अधिक गतिशील एवं क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाना है। राज्य विद्युत बोर्डों

निश्चय ही क्षेत्रीय तथा आर्थिक असमानता को दूर करने व जन-जीवन का स्तर उठाने की दिशा में ग्रामीण विद्युतीकरण एक प्रभावी कदम है जिसके दूरगामी लाभदायक परिणाम अदृश्य नहीं हैं।

व ग्रामीण विद्युत सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम वित्तीय सहायता देती है और योजनायें बनाने, उनके क्रियान्वयन तथा समन्वय का दायित्व भी निभाती है।

31 अगस्त, 1983 तक की स्थिति के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम के कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

स्वीकृत परियोजनाएं	6467
मंजूर वित्तीय सहायता :	2054 करोड़ रुपये
विद्युतीकृत होने वाले ग्राम :	2.41 लाख
विद्युत द्वारा चालित किए जाने वाले पम्पसेट:	20.94 लाख
दिये जाने वाले घरेलू/अन्य सर्विस कनैक्शन	48.33 लाख
विद्युतीकृत की जाने वाली हरिजन बस्तियां	29,359
दी जाने वाली गली की बत्तियों के कनैक्शन	11.37 लाख

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 1983-84 के दौरान देश में 23,631 ग्रामों का विद्युतीकरण और 3,67,779 पम्पसैटों के अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

योजना की सफलता के लिए आयोजन तंत्र के साथ-साथ सार्वजनिक सहयोग नितांत आवश्यक है। प्रधान मंत्री ने छठी योजना की भूमिका के अन्त में लिखा है "किसी भी योजना की सफलता का मापदण्ड उपलब्धियां तथा आबंटित राशि नहीं बल्कि लाभ होते हैं।" □

6/331, आर० के० पुरम
नई दिल्ली 110022

मेरे देश में

माता प्रसाद शुक्ल

मेरे देश में
कुछ लोग
काम से
कुछ नाम से
जाने जाते हैं –
कुछ कविता से
कुछ अकविता से
एवं कुछ
फोटो से भी
पहिचाने जाते हैं –
शेष बेचारे
नींव के पत्थर
की तरह
नींव के नीचे ही
धंसे रहते हैं –
उन्हें जानने और
पहिचानने का
कोई प्रश्न ही
नहीं उठता है।
लेकिन,
म सोचता हूं –
कि अगर –
इन नींव के
पत्थरों को भी
शायद कभी –
जानने और –
पहिचाने जाने की भूख
सवार हो जाये
तो फिर –
शायद यह महल
चंद क्षणों में ही
खण्डहर हो जाये।

साहित्य संपादक
चम्बल पोस्ट
लश्कर ग्वालियर

एक नई जिन्दगी

की

शुरुआत

शन्मुगा बादिबु को हर कोई तिरस्कृत करता था, क्योंकि वह अपने परिवार के दुर्भाग्य का कारण बन गई थी। उसके दोनों पांव जन्म से ही टेढ़े-मेढ़े थे। उसके माता-पिता इतने गरीब थे कि उन्हें यह नहीं पता होता था कि कल का भोजन कहां से आएगा। इसी तरह शन्मुगा बड़ी होने लगी, तन और दिमाग से दुर्बल एक अकेली अपंग लड़की के रूप में।

तभी उसके माता-पिता उसे उसके भाग्य पर छोड़कर चल बसे। ठीक तभी, जब उसके दुर्भाग्य का प्याला छलकने लगा था और उसे उपना अन्त समीप लग रहा था, सघन ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) देवदूत की तरह उसे बचाने उस तक आ पहंचा।

रामनंद केन्द्रीय सर्वोदय संघ, सेल्वापत्री ने शन्मुगा के मामले की सिफारिश की तथा सघन ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने साठ अन्य निराश्रितों के साथ उसे भी प्रशिक्षणार्थी के रूप में मान्यता दे दी।

बुनाई कताई के तीन महीने के प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक को हर महीने 125 रु० का वजीफा प्राप्त होता था।

ज्यों ही प्रशिक्षण समाप्त हुआ शन्मुगा को एक छः तकलियों वाली हाथ से चलाने वाली कताई की मशीन उपलब्ध कराई गई, ताकि वह अपना रास्ता खुद बना सके। इस मशीन पर काम करके वह सर्वोदय संघ से दस रुपये रोज की दर से कमा लेती है। संघ इस कते हुए सूत का उपयोग चादर, लुंगियां, धोतियां और तौलिए आदि बुनने में करते हैं। चूंकि सेल्वापत्री बुनकरों का गांव है, इसलिए यह व्यापार वहां खूब पनप रहा है। संघ का समूचा उत्पादन जिसका वार्षिक औसत 9000 मीटर है, खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा खरीद लिया जाता है।

बेरोजगारी अब इस गांव के लिए अतीत की बात हो गई है। कल की तिरस्कृत पंगु लड़की अब अपनी ही बचत से बनाये हुए एक कमरे वाले मकान की गौरव शाली मालकिन है।

शन्मुगा वादिबु अपनी क्षमता से दुर्भाग्य से उबर चुकी है और इसमें उसकी सहायता की है सघन ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने। □

पट परिवर्तन

बलदेव नारायण

अनादि काल से "पनघट" कवियों और प्रेमियों के मन में रोमानी भावुकता जगाता रहा है। हमारे लोकगीत, नाटक और चित्र हमेशा ही पनघट और उसके पास पानी के घड़ों के साथ कमनीय बालाओं का चित्रण करते रहे हैं।

आज भी हमारी फिल्में विभिन्न प्रकार से पनघट पर एकत्रित होती हुई सुन्दर ग्रामीण बालाओं को दर्शाते हैं। शहरी जीवन की भागदौड़ और शोर से ऊबे लोग पनघट की ओर राहत के लिए आकृष्ठ होते रहे हैं।

फिर भी पनघट का एक ऐसा पहलू भी है, जो उपेक्षित रहा है और इसका शायद ही कभी साहित्य में उल्लेख किया गया हो। इसके बारे में सोचना आवश्यक है।

लुभावनी दृश्यावली और रोमानी प्रेरणा का स्रोत होते हुए भी पनघट उन जल जनित बीमारियों के स्रोत हैं जो कि अपने साथ दुःख और पीड़ा लाती हैं।

इस तथ्य को मानते हुए कि साफ स्वच्छ पीने का पानी जीवन की एक प्राथमिक आवश्यकता है, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत सरकार देश के प्रत्येक गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफी कुछ किया जा चुका है। और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस दिशा में प्रगति जारी है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव आवास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने 1976 में यह सिफारिश की थी कि स्वच्छ पानी और जल निकासी की स्वच्छ व्यवस्था सभी सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए ताकि 1990 तक सभी को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

मार्च 1977 में मार-देल-प्लाटा में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इन उद्देश्यों को अनुमोदित किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि 1981–90 का दशक "अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति और सफाई दशक" के रूप में मनाया जाए।

वर्ष 1977 के अन्त में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की 31वीं बैठक में इन सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया गया था और भारत ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें देश के सभी लोगों को वर्ष 1990 तक पीने के योग्य पानी

[illegible] है। [illegible] एक [illegible] 1981 से आरम्भ किया है।

मार्च 1981 को स्थिति यह थी कि शहरी आबादी के 77 प्रतिशत भाग को और ग्रामीण आबादी के 31 प्रतिशत भाग को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकासशील देशों के लिए निश्चित शहरी आबादी के लिए 75 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी के लिए 29 प्रतिशत के मापदण्डों की तुलना में यह संख्या काफी अच्छी थी।

दशक के लिए प्रस्तावित लक्ष्य मार्च 1991 तक पूरी शहरी और ग्रामीण आबादी को स्वच्छ और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने का है।

वर्ष 1980 के मूल्य स्तरों पर यह अनुमान लगाया गया था कि दशक के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शहरी जल आपूर्ति के लिए 3,150 करोड़ रु० और ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 6,525 करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा।

भारतीय योजनाएं

भारत सरकार इस कार्यक्रम को कितना महत्व देती है यह इस बात से परिलक्षित हो जाता है कि प्रधानमंत्री के नए बीस सूत्री कार्यक्रम के आठवें सूत्र में इसे भी लिया गया है और पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना में इसे भी लिया गया है और पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है।

राज्य क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम (एम० एन० पी०) के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 1446.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इस कार्यक्रम के अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए 96.47 करोड़ रु० का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित 600 करोड़ रुपये की राशि इसके अतिरिक्त है। इसी के साथ छठी योजना के अन्त [1985] तक सभी समस्याग्रस्त गांवों में [illegible] और रक्षित पीने योग्य पानी का कम से कम स्रोत उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। ऐसे समस्याग्रस्त गांवों की संख्या 2.31 लाख है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र ने निर्देशों की एक सूची तैयार की है और सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इनका पालन करने का अनुरोध किया है। मार्ग निर्देशक सिद्धान्त राज्य सचिवों, मुख्य अभियन्ताओं और क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों के प्रमुखों के एक सम्मेलन में तैयार किए गए थे और स्वायत शासन तथा शहरी विकास की केन्द्रीय परिषद की एक बैठक में इन्हें अनुमोदित किया गया था।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकताओं की जो सूची तैयार की गई है वह है : समस्याग्रस्त गांवों की स्वच्छ जल की आपूर्ति ; उन नगरों और शहरी इलाकों में रक्षित पानी की आपूर्ति जहां अभी यह नहीं है ; शहरी जल आपूर्ति का नवीकरण; गैर-समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पानी की सप्लाई तथा शहरी जल आपूर्ति योजनाओं में वृद्धि करना।

दशक के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा और समाज कल्याण आदि संबंधित क्षेत्रों को इस कार्यक्रमों से सम्बद्ध करने के परिणाम दूरगामी होंगे। दिल्ली में हुई सचिवों की बैठक में इस बात पर सहमति प्रकट की गई और यह निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर की शीर्ष समितियों से यह निश्चित करने के लिए कहा जाए कि ऐसा ही समन्वय उच्चतम नीति निर्धारण स्तर पर भी हो।

सहयोगी कार्यक्रम

ऐसे कार्यों में सहयोगी कार्यक्रमों का बहुत महत्व है और स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक सहयोग इसी श्रेणी में आते है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण जनसाधारण को, पीने के पानी के स्रोत के रखरखाव व इसके भण्डारण, उसे दूषणरहित बनाने और उसके प्रयोग में शिक्षित करने के लिए पहले ही 1.7 लाख से अधिक "स्वास्थ्य परिचारकों" को प्रशिक्षण दे दिया है। छठी योजना के अंत तक प्रत्येक गांव के लिए कम से कम एक स्वास्थ्य परिचारक को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। जन प्रचार माध्यम भी इस प्रयत्न में अपना पूरा योगदान करेंगे।

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कुल लक्ष्य के 11.25 प्रतिशत अर्थात 25,798 समस्याग्रस्त गांवों को छठी योजना के प्रथम वर्ष 1980–81 में, 320 करोड़, रु० की लागत से पीने का पानी उपलब्ध कराया गया, जिसमें केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का प्रावधान भी शामिल है।

योजना के दूसरे वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले गांवों की 29,837 थी। यह लक्ष्य का लगभग 13 प्रतिशत है। इसमें कुल 346 करोड़ रु० का व्यय हुआ।

प्रधानमंत्री के नए बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1982–83 से शुरू हुआ है और इसके अन्तर्गत समस्याग्रस्त गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के साधन एकत्रित करने के लिए अथक प्रयत्न किए गए हैं।

यद्यपि योजना में 1982–83 के लिए मूल प्रावधान, केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध 127.50 करोड़ रु० सहित, 388 करोड़ रु० था, फिर भी केन्द्र सरकार ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त 20 करोड़ रु० उपलब्ध कराए ताकि छठी योजना के अन्त तक नए बीस सूत्री कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

कुछ राज्य भी राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करने पर विचार कर रहे हैं। यह आशा है कि वर्ष 1982–83 में लगभग 42,000 समास्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी का कम से कम स्रोत उपलब्ध कराया जा सकेगा।

अब जबकि हम स्वतंत्रता प्राप्ति की एक और वर्ष गांठ के कगार पर खड़े हैं हमें अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन

करना चाहिए और इस ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि शेष कार्य को कैसे प्रभावशाली ढंग और तेजी से सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है।

"सबके लिए रक्षित जल" के उद्देश्य का तात्पर्य क्या होगा ? स्वस्थ, प्रसन्न लोग, एक ऐसी धरती पर जहां लम्बे समय से लोग जानलेवा जल-जनित बीमारियों, के शिकार रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं की लम्बी दूरी से पानी के दुरुह कार्य से मुक्ति भी इस कार्यक्रम पर किए गए श्रम और धन को सार्थक सिद्ध करेगी।

समस्याग्रस्त गांवों को उच्च प्राथमिकता

राष्ट्र की छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा ऐसे गांवों का पता लगाने के लिए एक देशव्यापी सर्वेक्षण का आयोजन किया गया जिन पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाने के लिए जो मापदण्ड निर्धारित किया था वह इस प्रकार है :–

ऐसे गांवों का पता लगाना जहां 1.6 किलोमीटर दूर तक पानी का कोई भी स्रोत उपलब्ध न हो अथवा जहां पानी 15 मीटर से अधिक गहराई पर उपलब्ध हो।

अथवा

ऐसे गांव जहां पानी के स्रोत में आवश्यकता से अधिक क्षारीयता, लोहा, फलोराइड, और/अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य तत्व मौजूद हों।

अथवा

ऐसे गांव जहां पर उपलब्ध पानी से हैजा, गिनीकृमि, इत्यादि जैसे पानी से उत्पन्न होने वाले रोगों के फैलने का डर हो।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों ने ऐसे लगभग कुल 2.31 लाख गांवों का पता लगाया जहां स्वच्छ पानी की सप्लाई आवश्यक थी। इन गांवों को "समस्याग्रस्त गांवों" की संज्ञा दी गई है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि छठी योजना के आरम्भ में 1971 की जनगणना के अनुसार लगभग 5.76 लाख गांवों में से लगभग 3.45 लाख गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था थी।

पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सप्लाई से संबंधित सुविधाएं जुटाने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीणजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 1407.11 करोड़ रु० और 600 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई। छठी योजना के दस्तावेज में लगभग 1.90 लाख समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी का कम से कम एक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

जनवरी, 1982 में नए बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई और सभी समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की सप्लाई को कार्यक्रम के आठवें सूत्र में शामिल किया गया। इस सूत्र में कहा गया है कि "छठी योजना के दौरान सभी पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पानी का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।"

आठवें सूत्र के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ सलाह मशविरा किया गया और यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 1982–83 की कीमतों के अनुसार 2.31 लाख समस्याग्रस्त गांवों की 1981 की आबादी को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 3725 करोड़ रु० की आवश्यकता है। पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त गांवों के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था को छोड़कर कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां अन्य कठिनाई के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी भारत सरकार इन राज्यों के अधिक से अधिक इलाकों में ये सुविधाएं जुटाने लिए के प्रयत्नशील है।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार छठी योजना के प्रथम वर्ष में (1980–81) पता लगाए गए 25,978 समस्याग्रस्त गांवों में (लक्ष्य का 11.25 प्रतिशत) पानी की सुविधाएं जुटाई गईं और कुल लगभग 320 करोड़ रु० व्यय किए गए। इस केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए व्यय की राशि भी सम्मिलित है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने 29,837 समस्याग्रस्त गांवों में पानी की सप्लाई उपलब्ध कराई जो कि लक्ष्य का लगभग 13 प्रतिशत है। इस कार्य के लिए 346 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी।

नया बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1982–83 से आरम्भ किया गया है और समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल का साधन उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाने के जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। आरम्भ में वर्ष 1982–83 की वार्षिक योजना में लगभग 388 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी जिसमें केन्द्र द्वारा आयोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 127.50 करोड़ रु० की राशि भी सम्मिलित है। छठी योजना के अन्त तक नए बीस सूत्री-कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1982–83 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की है। कुछ राज्यों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने पर भी विचार किया जा रहा है। वर्ष 1982–83 के दौरान लगभग 42,000 समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने का अनुमान लगाया गया था।□

NAFED

नेफेड

किसानों की समृद्धि का प्रतीक

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) किसानों की राष्ट्रीय संस्था है। यह राज्य, जिला तथा प्राथमिक स्तर की 3500 विपणन समितियों का प्रतिनिधित्व करता है।

किसानों एवं उपभोक्ताओं के हित में नेफेड कृषि उत्पाद का देश तथा विदेश में विपणन करता है, उपजों में खाद्यान्न, दालें, तेल, तिलहन, कपास, वन्य उत्पाद, कुक्कुट उत्पाद, ताजे फल, मेवा, संसाधित फल एवं सब्जियां तथा कृषि निवेश आदि सम्मिलित हैं।

नेफेड को किसानों के उत्पाद का समर्थन मूल्य देने तथा प्याज, रामतिल, तिल, हाथ से चुनी मूंगफली के सरणीबद्ध निर्यात के लिये अभिकरण नियुक्त किया है।

नेफेड, दिल्ली, बेल्लौर और खुशालनगर में फल एवं सब्जी संसाधन फैक्ट्रियां चलाता है इसके अतिरिक्त इसके अपने शीत भण्डार, गोदाम, दाल मिलें आदि भी हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)
54, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065
टैलेक्स : 31-3254 एन एफ डी-आई एन
तार : नेफेड, नई दिल्ली
दूरभाष : 683334–7 (चार लाइनें)

प्रचुरता के समय

····················उत्पादक को अब अधिकाधिक उत्पादन करने से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है·······································खाद्य निगम उसके अतिरिक्त उत्पादन के लिये तैयार बाजार की व्यवस्था ··············· ············सारे वर्ष के दौरान और लाभकारी मूल्य पर भी करता है।

तथा

अभाव के समय

·························उपभोक्ता को बढ़ते मूल्यों तथा अभावों की आशंका नहीं करनी चाहिये··················खाद्य निगम उचित मूल्य पर अनवरत आपूर्ति को सुनिश्चित करता है।

सुनियोजित अनाज संग्रह, भण्डारण, परिचालन, वितरण तथा अनाज के सुरक्षित कोष के निर्माण से जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के विरुद्ध संघर्ष में सहायता करता है।

भारतीय खाद्य निगम
राष्ट्र की सेवा में संलग्न

वनरोपण एवं जनता का दायित्व

प्रकृति की हरियाली देखकर किसका दिल हरा नहीं हो जाता ? मीठे-मीठे रसदार फल देख कर किसकी जीभ से पानी नहीं टपकने लगता ? फूलों की खुशबू से किसका मन झूमने नहीं लगता ? लकड़ी की शहतीरों और सुदृढ़ दरवाजे-चौखटों से बने घरों का स्वामित्व किसे अच्छा नहीं लगता ? प्रकृति की हरियाली हो या मीठे-मीठे रसदार फल, खुशबूदार फूल हों या लकड़ियों से बना सुदृढ़ घर, सभी जगह वनों की उपादयता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । बाढ़ का प्रकोप कम करने और वर्षा की वृद्धि करने में भी वनों का बहुत योगदान है । वन भू-क्षरण को रोक कर उपयोगी धरती को बंजर बनने से रोकता है ।

प्राचीन काल में वनों का महत्व

उपयोगिता के कारण वनों का प्राचीन काल से ही काफी महत्व रहा है । वनों की उपादेयता और आवश्यकता को बल देने हेतु हमारे प्राचीन धर्मों में वृक्ष-पूजन को एक धार्मिक रूप दिया गया था । हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि केवल धार्मिक गुरू या प्रचारक ही नहीं, बल्कि वे चिकित्सक, वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री, दर्शनशास्त्री, आदि भी थे । कोई भी प्रथा धार्मिक रूप ले लेने के बाद समाज में सर्वमान्य हो जाती है । इसलिए प्राचीन ऋषि-मुनि हमारी हर उपयोगी आवश्यकताओं को धार्मिक रूप दे दिया करते थे । वनरोपण को धार्मिक रूप दिए जाने के पीछे भी हमारे ऋषि-मुनियों का यही ध्येय था । धार्मिकता से वशीभूत लोग वनरोपण एंव वृक्षरोपण को धर्म का एक अंग मानने लगे । हर धार्मिक प्रथा कालांतर में अपने मूल उद्देश्य को भूल जाती है । वनरोपण और वृक्षरोपण की धार्मिक प्रथा के साथ भी यही हुआ । प्रथा तो रह गई, उद्देश्य खत्म हो गए परिणामतः आज भी कहीं-कहीं वृक्षरोपण का त्योहार पारम्परिक रूप से मनाया जाता है । लेकिन उसका रूप बदल गया है । लोग मात्र धार्मिक त्यौहार मना कर रह जाते हैं, वृक्षरोपण नहीं कर पाते हैं ।

प्राचीन काल में आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई तो की जाती थी । लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के रूप में लोग वनरोपण भी कर लिया करते थे । प्राकृतिक रूप से भी वनों की वृद्धि होती रहती थी । परिणामतः हमारे वनों का संतुलन बना रहता था ।

आज स्थिति भिन्न हो गई है । जनसंख्या की वृद्धि के कारण वन पदार्थों की आवश्यकता तो बढ़ती जा रही है । लेकिन उसके अनुरूप वन नहीं लगाए जा रहे हैं । जिसका पर्यावरण पर काफी बुरा असर पड़ रहा है ।

वनों से लाभ

जनसाधारण को वनों से मिलने वाले लाभ की पूर्ण जानकारी नहीं है । वनों से हमें क्या लाभ है ? इस प्रश्न के उत्तर में आम लोग यही कहा करते हैं कि वनों से इमारती लकड़ियां मिलती हैं और जलावन मिलता है । इससे आगे वे यह कहते हैं कि वनों में वन्य-प्राणी रहा करते हैं । ऐसी धारणा से वनों के पूर्ण उपयोग के प्रति उनकी अज्ञानता परिलक्षित होती है । इमारती लकड़ियों और जलावन के अलावा भी वनों से हमें अनेक लाभ है ।

वनों से मिलने वाला लाभ प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी । इमारती लकड़िया, जलाने की लकड़ियां, चारा, दातोन, फल-फूल-बीज आदि वनों से मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ हैं । भू-क्षरण को रोकना, पर्यावरण को नियंत्रित करना, प्रदूषण को कम करना, पानी, खाद, वर्षा आदि वनों से मिलने वाले अप्रत्यक्ष लाभ हैं ।

अंकुश्री

बरसात के बाद नदी-नालों में आस-पास की ऊंची जगहों से मटमैला पानी गिरते हुए सभी ने देखा होगा । जो पानी नदी-नालों में गिरता है, वह काफी गंदला होता है और उसमें मिट्टी मिली रहती है । धरती के ऊपरी सतह वाली मिट्टी

[illegible] । [illegible] कहलाता है । जहां पेड़-पौधे नहीं हैं, वहां की मिट्टी बरसात के दिनों में बहुत तेजी से क्षरित होती रहती है । भू-क्षरण के कारण कहीं-कहीं तो पहाड़ी की भी काफी ऊंची नीची बनावट हो जाती है । भू-क्षरण को रोकने के लिए वृक्षरोपण बहुत जरूरी है ।

बाढ़ और सूखा पर नियंत्रण

वनों के कटाव का कुप्रभाव केवल वन क्षेत्रों या उसके आस-पास में ही नहीं पड़ता है । इससे दूर मैदानी क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं । मैदानी क्षेत्रों में भू-क्षरण की मिट्टी भर जाती है, जिससे नदियों की गहराई कम हो जाती है । नदियों की गहराई कम हो जाने से उसकी जल-धारक शक्ति कम हो जाती है । जिसका नतीजा यह होता है कि नदियां शीघ्र सूख जाती हैं और पानी की थोड़ी भी अधिकता बरदाश्त नहीं कर बाढ़ के रूप में उफन जाती है ।

ऐसा पाया गया है कि वनों से होकर गुजरने वाली छोटी-छोटी पहाड़ी नदियों में जहां जल की धारा पूरे वर्ष बनी रहती थी, वनों के कट जाने से उन्हीं नदियों में जल का पूर्णतया अभाव हो गया है । वनों के कारण जल का बहाव रुक-रुक कर होता है, जिससे नदियों में अधिक दिनों तक जल की उपलब्धि बनी रहती है । नदियों में जल के अभाव का प्रभाव कृषि एवं जन जीवन पर काफी बुरा पड़ता है ।

वायु-दाब एवं ताप नियंत्रण

आंधी और तूफान को नियंत्रित करने में भी वनों का बहुत बड़ा हाथ होता है हवा के बहाव एवं दबाब को यह काफी प्रभावित करता है । आस-पास के क्षेत्रों में वनों द्वारा ताप नियंत्रण का काम भी होता है ।

मनोरम दृश्य

अपनी सुंदरता और मनोरम छटा के कारण वनों की शोभा दर्शनीय होती है । सुंदरता और मनोरम छटा की शोभा का दर्शन करने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आ-आ कर वनों का भ्रमण करते हैं इसकी सुरम्यता के कारण ही हमारे यहां वनभोज की परम्परा चली आ रही है ।

बादल का ठहराव

पेड़ों की पत्तियां अपने आस-पास की नमी सोखती है । आसामान में तैर रहे मनचले बादल की नमी सोखने के लिए पेड़ उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, जिससे हरे-भरे वृक्षों वाले क्षेत्रों में बादल का ठहराव अधिक होता है और तदनुरूप वर्षा भी अधिक होती है ।

प्रति वृक्ष लाभ

वनों की कीमत उनके प्रतिनिधि वृक्षों की कीमत से आंकी जा सकती है। एक वृक्ष की आयु यदि 50 वर्ष मानी जाए तो वह अपने जीवन काल में अलग-अलग रूप में 15.50 लाख रुपये का लाभ देता है । प्रत्येक वृक्ष से मिलने वाले लाभ को हम अलग-अलग यों समझ सकते हैं ।

एक वृक्ष से 2.50 लाख रुपये का आक्सीजन मिलता है । वर्षा को सुनिश्चित और नमी को नियंत्रित कर एक वृक्ष हमें 3.00 लाख रुपये का लाभ पहुंचाता है । वृक्ष द्वारा भू-क्षरण को रोकने तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने का जो काम संपन्न होता है, उससे 2.50 लाख रुपये का लाभ मिलता है। प्रदूषण को नियंत्रित कर एक वृक्ष अपने जीवन काल में हमें 5.00 लाख रुपये का लाभ पहुंचाता है । पशु-पक्षी हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, वृक्ष से पशु-पक्षियों को जो छाया और आराम की प्राप्ति होती है वह 2.50 लाख रुपये के बराबर है । इस तरह एक वृक्ष अपने औसतन 50 वर्ष के जीवन काल में 15.50 लाख रुपये का लाभ पहुंचाता है ।

गलत धारणा से मुक्ति

ऐसा कहा जाता है कि वनों का महत्व और उसकी उपयोगिता के प्रति आज [illegible] इसके [illegible] के प्रति लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं । लोगों में यह धारणा व्याप्त है कि वनरोपण का कार्य वन विभाग का है । लोग इमारती लकड़ियां, जलावन, चारा, फल-फूल-बीज, पत्तियां, आदि वन संपदा का उपयोग करना तो अपना कर्तव्य समझते हैं । किंतु वनों की वृद्धि में योगदान के प्रति जनसाधारण अपना कोई कर्तव्य नहीं समझते हैं, जनसाधारण में यह धारणा व्याप्त है कि आवश्यक वन उत्पादों की पूर्ति का सारा दायित्व वन विभाग का है ।

अवैध कटाई की रोक

हकदार रैयतों को वनों के अन्दर गिरी-ड़ी लकड़ियों, दातोन, फल, फूल, पत्तियां, इत्यादि लेने की छूट है । हकदारों को जंगल में अपने साथ टांगी ले जाने की भी सरकार ने अनुमति दे दी है । लेकिन टांगी का इस्तेमाल गिरी-पड़ी सूखी लकड़ियां काटने, बोझा बांधने के लिए लत्तर काटने और आत्मरक्षा के लिए ही किया जा सकता है । सूखे या हरे खड़े वृक्ष को काटने की उन्हें अनुमति प्राप्त नहीं है । लेकिन हकदार रैयत प्रायः अपने अधिकार का दुरूपयोग कर बैठते हैं, जो गलत है। जनसाधारण का यह दायित्व है कि वह अपने निकटवर्ती वनों की सुरक्षा करें और वनों में प्रवेश के अधिकार का दुरुपयोग नहीं करें ।

कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा वन पदार्थों की चोरी भी की जाती है । जनसाधारण द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसी चोरी को रोका जाए ।

जन साधारण का दायित्व

आर्थिक विकास के दौर में वन उत्पादों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आवश्यकता के अनुरूप वन पदार्थों की आपूर्ति तब तक संभव नहीं है, जब तक इसके लिए सरकार पर आश्रित रहा जाए । भोजन और कपड़ा हो या दैनिक उपयोगिता की छोटी-बड़ी अन्य वन सामग्रियां, उसकी पूर्ति का पूर्ण दायित्व हम सरकार को नहीं दे सकते हैं। वनों की सुरक्षा और वनरोपण की जिम्मेवारी तमाम

लोगों की है । वन विभाग इस काम को करने का माध्यम मात्र है ।

किसानों को रोजमर्रा के उपयोग वाले सामान जैसे , हर, मोठ, जमोठ, बल्ली, बांस खंभा, इत्यादि के लिये उन्हें पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिये ।

राष्ट्रीय पर्व : वन महोत्सव

वन विभाग द्वारा प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में वनरोपण कार्य किया जाता है । वनरोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुलाई की पहली तारीख से ही जगह-जगह राष्ट्रीय पर्व के रूप में वन महोत्सव मनाया जाता है । वन महोत्सव हमें इस बात के लिए स्मारित कराता है कि हमारे वनों का बड़ा महत्व है और हमें उसकी रक्षा करके उन्हें बढ़ाना है । वन महोत्सव के माध्यम से जनसाधारण को वन, वृक्ष और वृक्षरोपण के बारे में जानकारी दी जाती है । इससे निजी जमीन पर वन-रोपण करने के लिए स्थानीय लोग प्रेरित होते हैं ।

जन साधारण का यह दायित्व है कि वह वन महोत्सव से अधिकाधिक लाभ उठाएं । निजी जमीन में भी वन महोत्सव कराया जा सकता है । निजी जमीन में वनरोपण करने के साथ ही जनसाधारण को यह दायित्व लेना चाहिए कि वह इस संबंध में एक दूसरे को बताएं और समझाएं ।

अपनी जमीन : अपना वन

जनसाधारण को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा । वनों से संबंधित अपनी तमाम आवश्यकताओं की जिम्मेवारी वन विभाग के मत्थे मढ़ने के बजाय जरुरत यह है कि वे अपनी जमीन में वन लगाएं । भू-पति अपनी जमीन में केवल वही फसल लगाना चाहते हैं, जिससे तुरन्त लाभ मिल सके । अनाज, साग-सब्जी आदि की खेती करके ही भू-पति अपने कर्तव्य का इतिश्री समझ बैठते हैं । निजी जमीन पर आम तौर पर लोग अधिक से अधिक कुछ मौसमी पौधे जसे केला, पपीता, अमरूद, नींबू, शरीफा, आदि लगा लेते हैं । वन लगाने की बात या तो भू-पति जानते ही नहीं हैं या जानते भी हैं तो इसे एक नुकसानदायक धंधा समझते हैं ।

कृषि उपज और वन उपज के तैयार होने में समय का बहुत अंतर है । कृषि उपज मौसमी उपलब्धि है । जबकि पूर्णरूप से वन-उपज की उपलब्धि अनेक वर्षों के बाद प्राप्त हो पाती है । लेकिन दोनों उपलब्धियों का अपना-अपना महत्व है । अतः कृषि के साथ ही वन के विकास में भी कृषकों को आगे आने की जरूरत है ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि निजी जमीन पर अधिक से अधिक वन लगाए जाएं । निजी जमीन पर वन लगाने हेतु वन विभाग द्वारा जगह-जगह पर पौधशाला और पौधा वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं । बरसात के दिनों में ऐसे पौधशालाओं या पौधा वितरण केंद्रों से निःशुल्क या अल्प कीमत पर पौधे प्राप्त कर उसे निजी भूमि पर लगाए जा सकते हैं ।

फलदार वृक्ष

वनरोपण का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल जंगली पौधे ही लगाए जाएं । आम, कटहल, बेल, अमरूद, इमली, बेर, आंवला, शरीफा, महुआ, आदि फलदार वृक्ष काफी उपयोगी होते हैं । आवश्यकता-नुसार ये फलदार पौधे अपनी जमीन पर लगाए जा सकते हैं ।

बाड़ी का घेरान

खेत को पशुओं से बचाने के लिए उसकी मेड़ों पर झाड़ी या बाड़ लगा कर घेरान किया जाता है । ऐसा घेरान हर साल लगाना पड़ता है, जो बहुत खर्चीला और मेहनत का काम है । खेत की मेड़ों पर यदि बबूल के पौधे लगा दिए जाएं तो हर साल के खर्च, मेहनत और परेशानी से बचा जा सकता है ।

फल वृक्षों की अपनी शोभा

अमलतास, कचनार, गुलमोहर, हरसिंगार, आदि वृक्षों में जब फूल खिलते हैं तो पूरा वातावरण रंगीन और सुरम्य बन जाता है । ऐसे फूलदार पौधे भी निजी जमीन पर लगाए जा सकते हैं।

जलावन और खाद

वनरोपण से जलावन की आवश्यकता बहुत जल्दी पूरी हो जाती है । शीशम को तीन साल के बाद छांटा जा सकता है । यूक्लिप्टस को सात साल के बाद जड़ से काटा जा सकता है । बबूल एवं इसी तरह के अन्य पौधों की छांट का जलावन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे गोबर जैसा कीमती खाद तो जलने से बच ही जाता है , वृक्षों की पत्तियों से बेहतर खाद भी प्राप्त हो जाता है।

चारा की आपूर्ति

शीशम, बबूल, कटहल, आम, पीपल, बांस, बरगद, आदि वृक्षों की पत्तियां बकरी, गाय, भैंस, बैल आदि घरेलू पशुओं को खिलाने के काम आती हैं । वृक्षों से चारा मिल जाने से चारा की चिंता कम हो जाती है और पशुओं से मिलने वाला लाभ बढ़ जाता है ।

जमीन ही जमीन

जिनके पास बहुत अधिक जमीन नहीं है, वे अपनी थोड़ी सी जमीन पर ही पौधे लगा सकते हैं । यहां तक कि जिनके पास केवल घर के लायक जमीन है, खेत-खलिहान की जमीन है ही नहीं , वे भी अपने घर के आस-पास दो चार छोटे वृक्ष रोप सकते हैं । जो किराये के मकान या सरकारी आवास में रहते हैं, वे अपने उसी घर के आगे-पीछे यथास्थान वृक्ष लगा सकते हैं । निजी जमीन के अलावा आस-पास की सार्वजनिक जमीन पर भी वृक्षरोपण कर उन्हें वृक्षों से भर देना चाहिए ।

यदि स्वार्थ को छोड़ कर वनरोपण को राष्ट्रीय महत्व दिया जाए तो इस काम के लिए किसी को जमीन की कमी नहीं होने पाएगी । उन्हें वनरोपण के लिए जमीन ही जमीन दिखाई पड़ेगी ।

पौधा लगाने का तरीका

यदि फलदार पौधा लगाना है तो 60 सें० मी० लंबा, 60 सेंमी० चौड़ा और 60 सें० मी० गहरा गड्ढ़ा 10 मीटर की दूरी पर खोदना चाहिए । अन्य

वृक्ष लगाने के लिए 30 सें० मी० लंबा, 30 सें० मी० चौड़ा, और 30 सें० मी० गहरा गड्ढा 3 मीटर की दूरी पर खोदना चाहिए । गड्ढा खोदने का काम वर्षा ऋतु के शुरु होने से पहले पूरा कर लेना चाहिए । बरसात शुरु होते ही गड्ढों में पौधे लगा देने चाहिए इससे पौधों को पूरे बरसात का लाभ मिल जाता है।

शिक्षा और प्रशिक्षण

बच्चों में ही किसी देश का भविष्य निहित होता है । इसलिए बच्चों को वन, वृक्ष और वृक्षरोपण के बारे में अधिकाधिक बताया जाना बहुत जरूरी है । बच्चों की पाठ्य-पुस्तकों में इन बातों को समाहित करना बहुत जरूरी है। पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से वन, वृक्ष एवं वृक्षरोपण की न केवल जानकारी देने की आवश्यकता है, बल्कि इसके व्यावहारिक पक्ष को भी उजागर करने की जरूरत है। विद्यालयों में छात्रों को पौधाशाला तैयार कराने से लेकर वृक्षरोपण करने तक का कार्य सिखलाना होगा । बच्चों को जब तक शुरू से ही संस्कार नहीं मिलेगा , तब तक उनमें वृक्ष और वन के प्रति सही रूप से लगाव पैदा नहीं होगा । छात्रों को वृक्ष और वन के बारे में शिक्षा देने तथा प्रशिक्षित करने का काम भी आसान है । पाठ के क्रम में उन्हें इस बात की शिक्षा दी जा सकती है और बागवानी के क्रम में उन्हें इसके व्यावहारिक पक्ष से अवगत कराया जा सकता है ।

न केवल विद्यालय के छात्रों को, बल्कि महाविद्यालय के छात्रों को भी वन, वृक्ष एवं वृक्षरोपण की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन तकनीकी महाविद्यालयों में भी, जहां कृषि, वानिकी, पशु-चिकित्सा आदि विषय की पढ़ाई होती है, छात्रों को वृक्षरोपण का दायित्व दिया जाना चाहिए । विद्यालयों के छात्रों को दी गई जानकारी का लाभ मुख्यत: उन छात्रों के परिवार तक ही सीमित रह सकता है । लेकिन महाविद्यालयों के छात्र वर्तमान में ले रहे प्रशिक्षण का उपयोग अपने प्रायोगिक कार्यक्षेत्र के अंदर आसानी से कर सकते हैं । ऐसे छात्रों को वृक्षरोपण का भार तो दिया ही जाना चाहिये, साथ ही उनके माध्यम से ग्रामीणों को वन, वृक्ष एवं वनरोपण के बारे में प्रशिक्षित भी कराया जा सकता है ।

ग्रामीणों को बरसात शुरू होने से डेढ़-दो माह पहले वृक्षरोपण की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे गड्ढ़ों की खुदाई यथासमय कर सकें । बरसात के आरम्भिक दिनों में ग्रामीणों को वृक्षरोपण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । एक बार जिस ग्राम में शिक्षा या प्रशिक्षण का काम कर लिया जाए, अगले वर्ष उस गांव में थोड़ी सी देखभाल करने मात्र से वृक्षरोपण का काम प्रभावी हो सकता है ।

वृक्षरोपण और वनों का संरक्षण केवल पुरुषों की ही जिम्मेवारी है, ऐसी बात नहीं है । महिलाओं को भी इस काम में आगे आना होगा । पुरुष दिन भर घर से बाहर रहकर काम करते हैं और महिलाएं घर में रहती हैं । ऐसी स्थिति में महलिाओं द्वारा अपने घर के आस-पास पौधे लगाए जा सकते हैं और लगाए गए पौधों की सेवा एवं रक्षा की जा सकती है ।

हर व्यक्ति को अपने स्तर से यह प्रयास करना चाहिए कि वे वनरोपण में अपना पूर्ण सहयोग दें । वनरोपण क्षेत्र की सुरक्षा का भार अच्छी तरह से वे ही ले सकते हैं, जो उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी हों । वनरोपित क्षेत्र का बकरी, गाय, भस, आदि घरेलू द्वारा कोई नुकसान नहीं हो, इस बात का ख्याल हर व्यक्ति को रखना चाहिए ।

प्रति व्यक्ति एक वृक्ष

यदि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले लें कि उसे अपने जीवन में एक वृक्ष लगाना है और उस वृक्ष की देखभाल और सेवा करना है, तो वनरोपण का काम बहुत आसान और सर्वव्यापी हो जाएगा।

अपनी आवश्यकता लायक वृक्ष लगा लिए जायें तो वनों पर दबाव बहुत कम हो जाएगा और इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति में स्वत: कमी आ जाएगी । □

नितक 19 बटालियन एन० सी० सी०,
बरियातु रोड, रांची-834009 ।

शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार योजना

(पृष्ठ 11 का शेषांश)

जिन्होंने उपने धन्धे वास्तव में स्थापित कर लिए हैं । इस सम्बन्ध में, मासिक प्रगति की समीक्षा, जिला उद्योग केन्द्रों की जिला सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी जिसके कलेक्टर जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं । इस समिति द्वारा क्रियान्वयन, समन्वय और पुनरीक्षण (मानिटरिंग) सम्बन्धी समस्याओं को हल किया जाएगा, जिसकी बैठक महीने में एक बार आयोजित की जाएगी । जिला उद्योग केन्द्र की मासिक प्रगति रिपोर्ट महाप्रबन्धक द्वारा इस भांति भेजी जाए कि वे विकास आयुक्त लघु उद्योग के कार्यालय में अगले महीने की 10 तारीख तक हर हालत में प्राप्त हो जाए ।

यह योजना तत्काल लागू होगी । इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए, जिला उद्योग केन्द्र, बैंक और सभी संबंधित इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

मासिक रिपोर्ट

सचिव (ग्रा० वि०) ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए 12 से 14 सितम्बर, 1983 तक उत्तर प्रदेश का दौरा किया था । उन्होंने वाराणसी तथा मुरादाबाद के दो जिलों में क्षेत्रीय दौरे किए और राज्य मुख्यालय में मुख्य सचिव और अन्य विभागीय प्रभारियों एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था । बिहार में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने हेतु 17 सितम्बर, 1983 को पटना में एक बैठक हुई थी । इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री तथा सचिव (ग्रा०वि०) ने भाग लिया था । सचिव (ग्रा० वि०) ने अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में मेघालय का दौरा भी किया था तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की थी । मेघालय के मुख्य सचिव तथा उत्तर-पूर्वी परिषद् के सचिव के साथ विचार विमर्श किया गया था।

आन्ध्र प्रदेश की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक 1983-84 की वार्षिक कार्यवाही योजना के अनुमोदन हेतु 19 सितम्बर, 1983 को हुई थी । इस बैठक में संयुक्त सचिव (सं० ग्राम० वि०) ने भाग लिया था ।

महाराष्ट्र में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के लेखाओं का रखरखाव करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा 26 सितम्बर से लेकर 29 सितम्बर, 1983 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था । इसमें विभिन्न जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के 29 अधिकारियों ने भाग लिया था । इस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी कार्यशाला में नामित किया था ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों को सहायक अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में 1072.62 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है, 1983-84 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 7335.62 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है ।

संकलित की गई सूचना के अनुसार अभी तक (अगस्त, 1983 तक) 5.27 लाख लाभभोगियों को सहायता पहुंचाई गई है जिसमें 2.18 लाख लाभभोगी (जो 40.1 प्रतिशत बनते हैं) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के हैं। सूचना मिली है कि 64.75 करोड़ रुपये की धनराशि को उपयोग में ले लिया गया है तथा 104.26 करोड़ रुपये के आवधिक ऋण वितरित किए गए है । तथापि, यह सूचना अनन्तिम है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को 381.33 लाख रुपये की धनराशि तथा 320 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है ।

इससे चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1983-84 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को अभी तक 7789.16 लाख रुपये की धनराशि और 1,17,848 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की जा चुकी है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदित ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारन्टी कार्यक्रम नामक नई योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की विस्तृत निर्देश परिचालित किए गए हैं ।

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत वर्तमान प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के छः प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता दी गई है तथा इस कार्य के लिए 4.96 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरूभूमि विकास कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु, उड़ीसा और जम्मू तथा कश्मीर सरकारों को क्रमशः 112.50 लाख रुपये, 30.745 लाख रुपये तथा 36.115 लाख रूपये की धनराशि बंटित की गई है और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू तथा कश्मीर एवं राजस्थान सरकार को क्रमशः 25.00 लाख रुपये और 313.14 लाख रुपये की धन राशि बंटित की गई है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य सरकारों को बाजारों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में 24.00 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। योजना के अंतर्गत 1983–84 के दौरान अभी तक 105.88 लाख रुपय की धन राशि बंटित की जा चुकी है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय उपदान के रूप में 5.415 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। वर्ष 1983–84 के दौरान अभी तक 8.678 लाख रुपये की धनराशि बंटित की जा चुकी है।

भूमि सुधार

विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित कानूनों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने से यह पता चलता है कि फालतू घोषित की गई 43.50 लाख एकड़ भूमि के मुकाबले में 29.54 लाख एकड़ भूमि को कब्जे में ले लिया गया है। कब्जे में लिए गए क्षेत्र में से 20.29 लाख एकड़ भूमि को वितरित कर दिया गया है। वितरित क्षेत्र में से भूमिहीन अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों जिन्हें यह भूमि वितरित की गई है, क्रमशः 41.5 प्रतिशत तथा 12.7 प्रतिशत हैं। जनवरी, 1982 से नया बीस सूत्री कार्यक्रम लागू करने से 3.04 लाख एकड़ क्षेत्र को कब्जे में ले लिया गया है तथा 1.94 लाख एकड़ भूमि को 1.58 लाख लाभभोगियों में वितरित किया जा चुका है। इसमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 86,168 लाभभोगियों को 1.04 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई थी।

जन सहयोग

समीक्षाधीन माह के दौरान ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देने की योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वियन हेतु अनुदानों की पहली तथा दूसरी किस्त के रूप में राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों को 3.893 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

इस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (ग्रा० वि०) श्री एम० सुब्रामणियन तथा संयुक्त सचिव (ग्रा० रो०) श्री जे० सी० जेटली को विपणन आयोजना तथा डिजाइन केन्द्र परियोजना (एम० पी० डी० सी०) के अंतर्गत अमरीका में विपणन व्यवस्था और बागवानी उत्पाद के क्वालिटी नियंत्रण का गहन अध्ययन करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था।

कहार से कांधिया तक

सलेक चन्द्र, "मधुप"

कोरे हाथ रचाई मेंहदी, मांग भरी सिन्दूर है,
घायल बिछुए, भटकी पूजा, नगर पिया का दूर है।
बिखर गये विश्वास, धड़कने गाती गीत विहाग का,
मावस का अंधियार करे क्या, बुझते हुए चिराग का।
सूख गई परिचय की पांखें, क्वांरी सेज उदास है,
बहक गया मदहोश भ्रमर, रंग फीका देख पराग का।।
नया चरण बूढ़ी दुनिया के, कीचड़ में फंस खो गया,
आदर्शों के बीच आस्था, थककर चकना चूर हो गया।
पहुंच गया है मनुज चांद पर, मन में तो अंधियार है,
पत्थर की नौका, सागर के जा सकती क्या पार है?
मन ने किया समर्पण, तन से जूझ रही परछाइयां,
युग-युग से छलता मधुऋतु को, पतझड़ का व्यापार है।।
प्रीत भिखारिन, सांधे जोगिन, कंचन पर बलि हो गई,
परिचित राहों के भटके, राही से मंजिल दूर है।
अंधी गुफा में बटमारों से, लुटी स्वप्न सौगात है,
बांधे हुए वायदे मर गए, बीते कल की बात है।
कंचन की कारा में कैदी, सप्तपदी के मंत्र हैं,
चन्दा की साजिश से पूनम, बन गई मावस रात है।।
अगणित कलियां अवश, सुबह का स्वर्णिम सूरज डूब गया,
वेदी के शोलों से जलती, यहां चिता भरपूर है।।
पिंजरे में कैदी मन जाने, कितना नीर बहा गया,
सारा दर्द भोग नारी मन, पीड़ा से मुसका दिया।
भटक गया कारवां जिन्दगी का, मरुथल की रेत में,
फूटा मंगल-कलश, मरसिया शहनाई ने गा दिया।।
अर्घ्य बिना पूजा, मन्दिर की प्रतिमा को स्वीकार नहीं,
डोली सजे कहार, कांधिया बनने को मजबूर हैं।।
नया सवेरा लेकर निकला, सूरज नूतन यान पर,
दिग-दिगन्त की निशा तमिस्रा, भागी स्वर्ण विहान पर।
झुरमुट में पिक का पंचम स्वर, उपवन का स्वर होता है,
झूम उठा कण-कण भारत का, मोहक नवयुग गान कर।।
शोषण और जुल्म की घातें, सफल नहीं हो पाएंगी,
जीवन का रस झोंपड़ियों से, नहीं तनिक भी दूर है।।

आर० जेड० 117/ए, सागरपुर ट्रस्ट
पंखा रोड़, नई दिल्ली-1100 46

निर्बल का सम्बल—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राकेश कुमार अग्रवाल

आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। अभावों की दशा में जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता दुर्लभ हो जाती है, विशेष रूप से इस स्थिति में समाज के दुर्बल वर्ग को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप विषमता में वृद्धि होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए हमारे जैसे विकासशील देश में स्थायी रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता महसूस होती है। 1 जुलाई 1979 से पूर्व समय-समय पर अस्थायी रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग किया गया। जब कभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने निर्बल उपभोक्ता वर्ग को जीवन संघर्ष के लिए विवश किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग में लाई गई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में प्रारम्भ की गई। बाद में युद्ध, अकाल व अभाव के समय इस व्यवस्था का सहारा राशनिंग के रूप में समय-समय पर लिया जाता रहा। 1939 से 1979 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभिन्न रूपों में काम में लाई जाती रही। 1 जुलाई 1979 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विधिवत घोषणा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इस उद्देश्य से की गयी कि समाज के सामान्य व निर्बल वर्ग को जीवनोपयोगी वस्तुएं सुविधापूर्वक उचित मूल्य पर स्थायी रूप से उपलब्ध हो सकें। कृत्रिम व वास्तविक अभावों में भी वस्तुओं की आपूर्ति बराबर बनी रहे, इस उद्देश्य से इसका सम्बन्ध उत्पादन से भी जोड़ा गया और इसको उत्पादन वितरण योजना का नाम दिया गया। ग्रामीण वितरण योजना इसी का महत्वपूर्ण अंग है। अब सम्पूर्ण भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच शहरी व ग्रामीण सभी उपभोक्ताओं तक समान रूप से है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है ?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अभिप्राय आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के स्थान, समय, व आर्थिक पक्ष को दृष्टि में रखते हुए न्यायपूर्ण कीमत पर तथा उपयुक्त आधार पर समान वितरण की समुचित व्यवस्था से है। एक प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक सिद्ध होती है। उचित वितरण व्यवस्था के अभाव में पर्याप्त उत्पादन के बावजूद भी मूल्यों पर नियन्त्रण रखना कठिन होता है। जिसके फलस्वरूप अनेक राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इन समस्याओं का समाधान निहित है।

"भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विचार कुछ विशिष्ट अनुमानों पर आधारित है। न तो यह समाजवादी देशों की भांति राज्य स्वामित्व वितरण व्यवस्था है और न ही स्कैंडीनेवियन देशों की भांति उपभोक्ता सहकारिता की स्वतन्त्र योजना है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली फुटकर व्यवस्था है जो राज्य के निरीक्षण व मार्ग दर्शन में चलती है।" यह मत गुजरात के गवर्नर के० के० विश्वनाथन ने इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आयोजित सेमिनार के उद्घाटन भाषण में प्रकट किया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य

यों तो स्वीकार किया जाता है कि उपभोक्ता सम्राट के समान सार्वभौमिकता रखता है किन्तु व्यवहार में वह विक्रेता की दया पर निर्भर करता है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का नियन्त्रण विक्रेता के हाथ में है, उपभोक्ता के नहीं। भारत में सार्वजनिक वितरण की आवश्यकता मुख्य रूप से अनिवार्य वस्तुओं की कमी और उपभोक्ता-उन्मुख वितरण व्यवस्था के कारण महसूस की जाती है। सरकार के पर्याप्त नियन्त्रण व नियमन के बाद भी उपभोक्ता संरक्षण की समस्या बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही उपचार प्रतीत होती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को विशेष रूप से निर्बल वर्ग को अनिवार्य वस्तुएं उस मूल्य पर उपलब्ध कराना है जिसको वे सुविधापूर्वक वहन कर सकें। अन्य उद्देश्य—

- बढ़ते हुए मूल्यों पर नियन्त्रण।
- चोर बाजारी, मुनाफाखोरी, अनुचित संग्रह, कृत्रिम अभाव, एकाधिकार, मिलावट, नकल, कम-माप तोल आदि से उपभोक्ता की सुरक्षा।
- निर्बल उपभोक्ता वर्ग के जीवन स्तर में सुधार।
- उत्पादन वृद्धि के साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
- समाजवादी समाज की स्थापना।

सार्वजनिक वितरण में सहकारिता का योगदान :

अथक प्रयासों के बाद भी देश की अधिसंख्य जनसंख्या आर्थिक गुलामी से मुक्त नहीं हो पाई है। आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली 43 प्रतिशत जनसंख्या अभावों से ग्रसित है। इसके ऊपर की 33 प्रतिशत जनसंख्या-को भी, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं आसानी से सुलभ नहीं हो पातीं। कुल मिला कर 80

[illegible] के दैनिक उपयोग की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गांवों में बसने वाली 76 प्रतिशत जनसंख्या को इस दृष्टि से और भी अधिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इस स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता का सहारा बनती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। वास्तव में लाखों गावों में करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचने का एक मात्र उपाय सहकारी समितियां ही है। फिर भी अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निजी विक्रेताओं का भाग अधिक है। जबकि यह स्पष्ट है कि इस कम मार्जिन वाले वितरण व्यवसाय को अधिक लाभ चाहने वाले निजी विक्रेता कभी भी नैतिकता और ईमानदारी के आधार पर नहीं चला सकते। अनुभव बताते हैं कि इस वितरण कार्य में ये विक्रेता स्वार्थ पूर्ति के लिए अनेक अनियमितताएं अपनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को अभी तक अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण का कार्य निजी विक्रेताओं के हाथों से लेकर सहकारी संस्थाओं को सौंप दिया है। सम्पूर्ण देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख सहकारी समितियों का जाल सा बिछा है। आवश्यकता है सार्वजनिक वितरण की पूरी जिम्मेदारी इन सहकारी संस्थाओं को सौंपने की। इस दृष्टि से सहकारी संस्थाओं को और अधिक सुदढ़ व विकसित करना चाहिए।

सहकारी संस्थाएं उपभोक्ताओं की अपनी संस्थाएं हैं, जो स्वेच्छा, समानता व प्रजातन्त्रिक आधार पर संगठित की जाती हैं। उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से उपभोक्ता सहकारियों का कार्य सराहनीय है। इनके द्वारा नियन्त्रित वस्तुओं में चावल, चीनी, गेहूं तेल व कपड़ा इत्यादि तथा अनियन्त्रित वस्तुओं में खाद्य तेल, मसाले, साबुन, माचिस, दालें, गुड़, चाय, सैल, टायर-ट्यूब इत्यादि वस्तुएं सामान्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जाती है। देश में 4 प्रतिशत से अधिक उचित मूल्य की दुकाने सहकारी क्षेत्र में चलायी जा रही है। जिनमें से 58,000 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में हैं, सुदूर गांवों के लिए सचल दुकानों की व्यवस्था की जा रही है।

अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व० जान कनेडी के अनुसार उपभोक्ता के चार मूल अधिकार हैं—

1. स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हानिकारक वस्तुओं से संरक्षण।
2. असत्य सूचनाओं, धोखाधड़ी मिथ्या व भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षा।
3. मन पसन्द वस्तुओं का चयन।
4. उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई।

सार्वजनिक वितरण प्राणाली के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं के उपर्युक्त वर्णित अधिकारों की किसी सीमा तक पूर्ति होती है। क्योंकि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को निम्नलिखित कारणों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं:—

- सहकारी संस्थाओं में वस्तुओं का मूल्य अपेक्षाकृत कम रहता है। क्योंकि अधिग्रहण, विज्ञापन तथा परिचालन व्यय में मितव्यता प्राप्त होती है।
- धोखा रहित अच्छी किस्म की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मिलावट व नकल की सम्भावना नहीं होती।
- वस्तुएं माप-तौल में पूरी मिलती हैं हिसाब-किताब में भी हेर-फेर नहीं किया जाता।
- सेवा भावना के आधार पर चलने वाली ये सहकारिताएं नैतिकता के आधार पर उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करती है इनमें उपभोक्ता संरक्षण के सभी प्रमाणों व माप दंडों का पालन किया जाता है।
- नकद विक्रय उपभोक्ताओं को ऋण ग्रस्तता के शोषण से बचाता है।
- अभाव काल में भी दुलर्भ वस्तुओं का वितरण समानता के आधार पर किया जाता है।
- निश्चित दाम की नीति के कारण अनावश्यक सौदेबाजी से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है।

योजना आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "जब तक बाजार विक्रेता के हाथ से निकल कर क्रेता के हाथ में नहीं आ जाता, उपभोक्ता संकट में रहेगा और गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ सकता।" उपभोक्ता सहकारिता ही इसका एक मात्र विकल्प है जो बाजार को सीधे क्रेता के हाथों में सौंप देता है। इस दृष्टि से सार्वजनिक वितरण के लिए सहकारियों का चुना जाना अर्थपूर्ण है।

निर्बल उपभोक्ताओं के लाभ को दृष्टि से कुछ सुझाव :

- एक ओर निर्बल उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि के लिए सरकारी स्तर पर प्रयत्न किए जाने चाहिए तो दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण के माध्यम से अति आवश्यक वस्तुएं इस वर्ग को अपेक्षाकृत अधिक सस्ते दामों पर उपलब्ध करानी चाहिए। इसके लिए निर्बल वर्ग की बस्तियों या गांवों में आवश्यक वस्तुएं सचल दुकानों द्वारा नित्य ही सुलभ कराई जाएं। जिससे वे प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तुएं सुविधापूर्वक खरीद सकें।
- उपभोक्ता उद्योगों का सहकारी क्षेत्र में विस्तार किया जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तुएं सस्ते मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हो सकें।
- सार्वजनिक वितरण में लगे सभी विभागों व विभिन्न स्तरों की संस्थाओं में आवश्यक समन्वय होना चाहिए। जिससे आपूर्ति का प्रवाह ठीक बना रहे।
- ग्रामीण जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए जीवनोपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति ब्लाक स्तर पर करवाई जाए ताकि सुदूर ग्रामीण अंचलों तक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।

- आवश्यक वस्तुओं की सूची में स्थानीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं को सम्मिलित करना चाहिए। जिससे दैनिक उपभोग की समस्त वस्तुएं सार्वजनिक वितरण के माध्यम से ही मिल जाएं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मध्यस्थ के रूप में किसी भी स्तर पर किसी भी इकाई को कार्य नहीं करना चाहिए। अन्यथा इसके लाभ मार्जिन के कारण निर्बल उपभोक्ता पर बढ़े हुए मूल्यों का बोझ पड़ता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता व्यवसाय में लगे हुए कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे प्रणाली की भावना के अनुरूप निष्ठा पूर्वक कार्य करके उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सन्तुष्टि प्रदान कर सकें।
- उपभोक्ता का कल्याण उसकी स्वयं की जागरूकता पर काफी कुछ निर्भर करता है। इसके लिए उपभोक्ता शिक्षा का विभिन्न माध्यमों से अशिक्षित निर्बल उपभोक्ताओं के बीच प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य निर्बल वर्ग को शोषण से बचा कर साधन सम्पन्न बनाना है जिससे उनकी क्रयशक्ति में वृद्धि हो। बहुत से लोग तो दो समय का अन्न भी नहीं जुटा पाते हैं, कपड़े के नाम पर चीथड़ों में गुजारा करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस कमजोर वर्ग को लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब उनकी क्रयशक्ति में सुधार हो। इसके लिए कमजोर वर्ग को ग्रामीण विकास में लगाकर उनकी आय बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वास्तव में जिस वर्ग को सहारा मिलना चाहिए, वह इससे अछूता ही रह जाएगा।

प्रवक्ता वाणिज्य विभाग,
एस० एस० वी० (पी० जी०) कालिज
हापुड़, (उ० प्र०)

सामाजिक वानिकी

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत

सेवा सिंह सागवाल

मानव रूपी जीव पुरातन काल से ही किसी न किसी प्रकार से वनों पर आश्रित रहा है। आज उसकी आवश्यकताएं कई गुना बढ़ गई हैं। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा हर जगह बुलन्द है। ईंधन की आवश्यकता भी बराबर बढ़ती जा रही है। गांवों व कस्बों में आजकल प्रायः कहा जाता है—"धन तो है, पर ईंधन नहीं।"

वृक्षों का महत्व जो आज है वह शायद पहले कभी महसूस नहीं किया गया। ये हमें इमारती व जलाने की लकड़ी, चारा, पत्तियां, गोंद, फल, औषधियां, रेयोन तथा पल्प आदि प्रदान करते हैं। वृक्ष घरेलू, कृषि और उद्योग आदि में काम आते हैं। ये दूषित वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। आंखों को सुख व धरती को शृंगार प्रदान करते हैं। भूमि संरक्षण में तो इनका बहुत ही हाथ है।

वन, खेतों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर जो वृक्ष लगाए जाएं उन्हें सामाजिक वानिकी की संज्ञा दी जाती है। इसमें हर प्रकार की भूमि काम में लाई जाती है और इसका सीधा सम्बन्ध समाज से होता है। वैज्ञानिक इस मत को मानने लगे हैं कि केवल वन खेती ही समाज की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। भारतीय नीति के अनुसार कुल भूमि का 33 प्रतिशत भाग वनों से ढका होना चाहिए जबकि अभी तक 23 प्रतिशत भूमि ही वनों से ढकी हुई है स्थिति ऐसी बन गई है कि वनों के लिए कोई अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध नहीं है अतः सन्तुलित पर्यावरण तथा लोगों की मांग को पूरा करने के लिए सामाजिक वानिकी ही एक मात्र रास्ता है।

वन खेती की वानिकी में खेतों की सीमाओं पर वृक्ष लगाए जाने चाहिएं। हवा रोधक वृक्षों की पट्टियां उगानी चाहिए। पानी की नालियों और चरागाहों में भी वृक्षों की कतारें लगाई जा सकती हैं।

विस्तार वानिकी में घास, पत्तियां, चारा, फल एवं जलाने हेतु लकड़ी आदि के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं। इसमें गांव की बेकार भूमि, पंचायत की भूमि व गांव की सांझी भूमि को प्रयोग कर सकते हैं।

मनोरंजन के लिए वानिकी को जंगली पशु-पक्षियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

वानिकी सुन्दरता उत्पन्न करने आदि के काम आती है इसमें कई प्रकार के सुन्दर वृक्ष लगाकर धरती का शृंगार किया जाता है।

जहां पर तेज हवाओं की समस्या होती है वहां पर इस प्रकार की वानिकी अपनाई जा सकती है।

1975 में हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने एक 20-सूत्री कार्यक्रम राष्ट्र को दिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र का चहुमुखी विकास था। उसके साथ ही एक और कार्यक्रम जो कि 5-सूत्री कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, स्वर्गीय श्री संजय

गांधी ने बनाया। इस कार्यक्रम में वनों की रक्षा, परिवार नियोजन, शहरों की सफाई, दहेज प्रथा को मिटाना तथा जातपांत का बहिष्कार शामिल किए गए। यद्यपि स्वर्गीय श्री संजय गांधी के 5–सूत्री कार्यक्रम की सरकारी तौर पर घोषणा नहीं की गई थी फिर भी ये कार्यक्रम इतना आकर्षक था कि लोगों ने इसका स्वागत बड़े जोर-शोर से किया।

सामाजिक वानिकी के कई लाभ हैं जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं :—

आज कृषि के विकास के बावजूद भी कई प्रकार की भूमि बेकार पड़ी है अतः इस प्रकार की भूमियों का उपयोग इस वानिकी को अपनाकर कर सकते हैं।

भू–संरक्षण की समस्या भी गंभीर बनी हुई है, पानी को इकट्ठा करना भी मुश्किल हो गया है, ये सारी समस्याएं वृक्षों के न होने के कारण ही हैं। सामाजिक वानिकी इस प्रकार की समस्याओं को हल कर सकती हैं।

जहां पर भारी वर्षा होती है वहां निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और जो कभी–कभी विकराल रूप धारण कर मानव के लिए अभिशाप बन जाती है यदि वृक्ष अधिक संख्या में लगाए जाएं तो इस समस्या का समाधान भी हो सकता है।

इमारती और जलाने की लकड़ी की कमी हो रही है सामाजिक वानिकी को अपनाकर इस कमी को भी पूरा किया जा सकता है।

धरती नंगी होने के कारण वातावरण में प्रदूषण से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सामाजिक वानिकी का दायरा बड़ा होने के कारण यह भूमि के कई प्रकार के हिस्सों को वृक्षारोपण कार्य में उपयोगी होती है।

इस प्रकार की वानिकी में फलों के पेड़ लगाकर एक अच्छी आमदनी का साधन बनाया जा सकता है। वानिकी को अपनाकर चारे की आज जो कमी महसूस हो रही है उसे भी पूरा किया जा सकता है।

आज तक हर प्रकार की भूमि का कृषि हेतु प्रयोग न कर सके। इस प्रकार काफी भूमि बेकार पड़ी रहती है अतः ऐसी भूमिओं में सामाजिक वानिकी को अपनाना चाहिए। सामाजिक वानिकी की अधोलिखित किस्में अपनाई जा सकती है।

2 जनवरी, 1982 को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस 20–सूत्री कार्यक्रम का पूरा जायजा किया और इसकी तरक्की को पूरा न कर पाने की वजह से 14 जनवरी, 1982 को उन्होंने अपने 20–सूत्री कार्यक्रम की दोबारा रूप–रेखा बदली ताकि यह और भी व्यावहारिक प्रोग्राम बन सके और इसके साथ ही अपने नए 20–सूत्री कार्यक्रम में स्वर्गीय संजय गांधी के 5–सूत्री कार्यक्रम को भी शामिल कर दिया। इस प्रकार अपने नए संशोधित 20–सूत्री कार्यक्रम में वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले 20–सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

संशोधित 20–सूत्री कार्यक्रम में छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ प्रमुख सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों और अधिक गति से सक्रिय करने का संकल्प किया गया है। वर्ष 1980–81 में एक केन्द्र प्रवर्तित योजना "सामाजिक वानिकी" आरम्भ की गई है। छठी योजना में इस कार्य पर सारे देश में लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय होंगे जिसमें से लगभग 40 करोड़ रुपयों का अनुदान केन्द्र सरकार प्रदान करेगी। नए 20–सूत्री कार्यक्रम में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। यद्यपि 20–सूत्री कार्यक्रम को मुख्य रूप से जन साधारण के कम साधन वाले वर्ग के लोगों का रहन–सहन बेहतर बनाने के लिए चलाया जाता रहा है लेकिन कार्य का प्रमुख उद्देश्य हर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा सामाजिक वानिकी को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वानिकी विकास के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

सरकार ने जिस सर्वजन हिताय वानिकी की घोषणा की है उसमें निजी कृषि भूमि या खेतों की मेड़ों आदि पर वृक्ष लगाने का प्रावधान है।

इस कार्य के लिए पौध वन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। इस वानिकी विकास में वन विभाग द्वारा 20–सूत्री कार्यक्रम के अधीन हर सम्भव गांव की भूमि पर सड़कों, नहरों के किनारे तथा रेल पटरियों पर वृक्ष लगाए जाएंगे। नए 20–सूत्री कार्यक्रम के अधीन वानिकी का निर्धन वर्ग के लोगों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। सरकार की तरफ से इस बात पर बल दिया जा रहा है कि नए 20–सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 12 की हर सम्भव सफलता हेतु जरूरी है कि भारत की खुशहाली व हरियाली के बारे में दुगने साहस और उत्साह से काम लिया जाए।

20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अच्छे व आम तौर पर उगाए जाने वाले वृक्षों के बीजों को इकट्ठा करना भी वानिकी विकास का एक लक्ष्य है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सागवान, साल, खैर शीशम आदि वृक्षों के अच्छी किस्म के बीज इकट्ठे किए जाएं ताकि वनारोपण की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। सारे देश के लिए ऐसे वृक्षों के 500 टन अच्छे बीज इकट्ठे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए 20–सूत्री कार्यक्रम के अधीन हर वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में पौध रोपकर वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है और लोगों के उत्साह, चेतना तथा गति को दृष्टिगत करते हुए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की हरियाली का सपना शीघ्र ही साकार हो जाएगा।

नए 20–सूत्री कार्यक्रम में वानिकी विकास हेतु 1982–83 के लिए 200 करोड़ पौधे वन राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया था जब कि 1981-82 में यह लक्ष्य 135.38 करोड़ था।

सरकारी तौर पर इस ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को इस पुण्य पावन यज्ञ में सहभागी बनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वृक्ष

न लगा सके तो कम से कम इतना तो कर सकता है कि हरे वृक्षों को न काटे। गांव व शहरों की खाली जगहों में वृक्ष लगाए जाएं तो ये किसी बगीचे में बसे हुए लगेंगे। वृक्षारोपण के साथ ये भी ध्यान देने योग्य है कि पेड़ लगाने के बाद निश्चिंत हो जाने से काम नहीं चल सकता यह तो सिर्फ लकीर पीटना भर हुआ। वृक्षों के लिए खाद, पानी, निराई, गुड़ाई, रखवाली और साज संभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वयं इस प्रकार के कार्यों में रुचि लेने के साथ-साथ सर्वसाधारण को भी वृक्षारोपण का महत्व समझना चाहिए और इस दिशा में प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार वानिकी विकास 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़ी सफलता से पूर्ण हो सकेगा और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का संकल्प भी पूर्ण होगा।

देश को हरा-भरा रखिए, इस दिशा में आपका कर्तव्य न केवल पौधा लगाना बल्कि उसका पालन-पोषण करना भी है।□

वानिकी विभाग
हि० प्र० कृ० वि० वि०
पालमपुर।

जय हिन्दी ! जय भारती

जो भारत के भाग्य-भाल की
चमक रही शुचि बिन्दी है।
कोटि-कोटि जन-जननी भाषा,
हिन्दी है वह हिन्दी है।
संस्कृत मां की पावन पुत्री,
जिसकी पावन परिभाषा।
आंचल में है रही संजोए,
मानवता की अभिलाषा।
चन्द स्वरों संग जो गूंजी है,
लेकर तूफानी इतिहास।
प्राकृत से अपभ्रंश-पालि तक,
जिसका क्रमशः हुआ विकास।
जगनिक की ओजस्वी वाणी।
से जो हुई विभूषित है।
इस धरती का कण-कण,
जिसके जयगानों से पोषित है।
है पाथेय बनी जिसकी रज,
जिसमें भूषण का गर्जन।
जिसमें तुलसी की आभा है।
अमर शहीदों का सर्जन।
अजस धार में जिसकी मिलती,
सूर काव्य की धारा है।
मनुष्यता से संपोषित जो,
वह साहित्य हमारा है।
दयानन्द से ऋषियों ने है,
जिस हिन्दी को दुलराया।
गांधी ने, अरविन्द-तिलक ने,
जिसको मां का रूप बताया।
पन्त-महादेवी-दिनकर हैं
जिसके जाग्रततम प्रहरी।
जिसका जय संगीत सुनाती,
गंगा-गोदावरी गहरी।
लगभग चौदह बहनें इसकी,
बहुत बड़ा परिवार है।
इसकी रक्षा हित कोटिक जन,
करि बांधे तैयार है।
उसी भव्य हिन्दी की आओ,
चलें उतारें आरती।
कोटि-कोटि जन मिलकर गाओ,
जय हिन्दी ! जय भारती।

राधेश्याम 'आर्य' विद्यावाचस्पति
मुसाफिरखाना सुल्तानपुर उ० प्र०

केन्द्र के समाचार

बायोगैस संयंत्र तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में 15,000 से अधिक बायोगैस इकाइयों को पूरा किया गया। इसमें पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में लगाए गए 2,681 संयंत्र भी शामिल हैं जिनकी जानकारी नहीं दी गई थी। इस प्रकार उपलब्धि 16.5 प्रतिशत हुई जबकि चालू वर्ष का लक्ष्य 75,000 बायोगैस संयंत्र हैं।

राज्यों और खादी ग्रामोद्योग आयोग से बहु-एजेंसी प्रणाली अपनाने के लिए कहा गया है। राज्य कृषि उद्योग निगमों और दुग्धशाला विकास निगमों के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों, निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित उद्यमियों, औद्योगिक संस्थानों, रोटरी क्लबों, महिला संगठनों तथा ग्राम पंचायतों को भी बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

बायोगैस इकाइयों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए प्रशिक्षित मिस्त्रियों और तकनीशियनों के दल का विकास करने के लिए अनेक प्रशिक्षण पाठयक्रमों को स्वीकृति दी गई है।

सरकार ने बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए लेवी सीमेंट के त्रैमासिक कोटे को 25,000 मी० टन से बढ़ा कर 50,000 मी० टन कर दिया है तथा इसे जारी भी कर दिया है। राज्य सरकारों और क्रियान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता टर्न-की शुल्क तथा कर्मचारी सहायता इत्यादि के रूप में 3.70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

मछुआरे की विधवा के लिए तुरन्त सहायता

मछुआरों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित सामूहिक बीमा योजना एक मछुआरे की विधवा के लिए वरदान साबित हुई है। गुजरात के एक मछुआरे की मृत्यु होने पर उसकी विधवा को इस योजना का तुरन्त लाभ मिला है। नई दिल्ली स्थित फिशरमेन्स कोआपरेटिव लिमिटेड के राष्ट्रीय महासंघ ने दावे के पूरे कागजात प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर दावे की रकम अदा कर दी। इस विधवा के नाम जारी किया गया 15,000 रुपए का एक चैक गुजरात फिशरीज सेंट्रल कोआपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड को भेज दिया गया है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना हेतु सहायता नामक योजना के अंतर्गत राज्यों के मामले में प्रीमियम 50 प्रतिशत तथा संघ शासित क्षेत्र के मामले में 100 प्रतिशत राशि सहायता के रूप में केन्द्र द्वारा दी जाती है। मृत्यु तथा स्थाई विकलांगता के जोखिम की पूर्ति के 15,000 रुपए का तथा आंशिक विकलांगता के लिए 7500 रुपए का बीमा है तथा इसके लिए प्रति व्यक्ति को प्रतिवर्ष बारह रुपए का प्रीमियम देना होता है।

बीड़ी मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

सरकार का बीड़ी मजदूरों के लिए 50 हजार से 1 लाख तक आबादी के पीछे एक छोटा क्षय रोग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा इलाज किया जाएगा तथा यहां चिकित्सा संबंधी सभी आवश्यक उपकरण होंगे।

इस दौरान, बीड़ी मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि अस्पतालों तथा चिकित्सालयों में विशेष उपचार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से क्षय रोग के वास्तविक रोगियों का पता लगाया जा सके।

कल्याण निधि के अन्तर्गत इन मजदूरों के लिए लगभग 103 चिकित्सालय खोले गए हैं तथा इनमें इलाज करवाने के लिए 7.5 लाख मजदूरों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

श्रम मंत्रालय ने सहकारिता के आधार पर बीड़ी मजदूरों का संघटन करने हेतु एक योजना की जांच भी की है ताकि इनको शोषण से बचाया जा सके। प्रत्येक सहकारिता में लगभग 5,000 मजदूर होंगे तथा विभिन्न राज्यों में 100 समितियां होंगी।

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्यदल का गठन

योजना आयोग ने अनुसूचित जातियों के विकास की प्राथमिकताओं और नीतियों को निर्धारित करने के लिए गृह मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में बीस सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है।

कार्यदल अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अब तक अपनाई गई नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना को विशेष रूप में ध्यान में रखते हुए सुझाव भी देगा। सामान्य रूप से यह कार्यदल दीर्घकालिक उद्देश्यों, वर्तमान में लागू किए जा रहे विकास कार्यक्रमों के सार तथा उनकी प्राथमिकताओं, गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में प्रत्येक

परिवार को मिले लाभों का मूल्यांकन करेगा और उपयुक्त सुझाव भी देगा।

यह कार्यदल अनुसूचित जाति की बस्तियों में सामान्य और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा उनके रहने और काम करने के हालात में हुए सुधारों की भी समीक्षा करेगा। राज्यों, केन्द्र और वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष खंड योजना में निवेशित किए जा रहे धन तथा इन स्रोतों से धन दिए जाने की प्रणाली की भी समीक्षा की जाएगी।

योजना आयोग के सलाहकार डा० भूपिन्दर सिंह इस कार्यदल के सदस्य सचिव होंगे।

कार्यदल अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 1984 तक प्रस्तुत कर देगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से 8.50 लाख परिवारों को लाभ

चालू वित्त वर्ष के प्रथम छः महीनों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 8.50 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा में 36,697 परिवारों को लाभ पहुंचा है। इस प्रकार हरियाणा ने 55,800 परिवारों को लाभ पहुंचाने के अपने वार्षिक लक्ष्य का 65 प्रतिशत प्राप्त किया है जबकि पंजाब और केरल ने अपने-अपने लक्ष्य का क्रमशः 53 और 49 प्रतिशत प्राप्त किया है। जिन अन्य राज्यों ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है उनमें तमिलनाडु (48.2 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (42.4 प्रतिशत) और नागालैंड (40 प्रतिशत) हैं। बारह राज्यों और अधिकांश केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस दिशा में संतोषजनक कार्य नहीं किया। केवल अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह ने 73 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है।

ग्रामीण बेरोजगारों के लिए काम के अवसर जुटाने के सम्बन्ध में सिक्किम ने 90,000 श्रमदिवस रोजगार के अवसर जुटाने के अपने वार्षिक लक्ष्य की तुलना में सितम्बर माह तक 1,37,337 श्रम दिवस रोजगार जुटाकर अपने वार्षिक लक्ष्य का 152.6 प्रतिशत प्राप्त किया। सभी केन्द्र शासित प्रदेशों की कुल मिलाकर उपलब्धि 99.1 प्रतिशत रही जबकि निजी रूप से लक्षद्वीप ने 933.6 प्रतिशत, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह ने 308.7 प्रतिशत, चण्डीगढ़ ने 128.9 प्रतिशत और मिजोरम ने 134.6 प्रतिशत प्राप्त किया। इस अवधि में कुल मिलाकर लगभग 10.43 करोड़ श्रम दिवस रोजगार के अवसर जुटाए गए।

"विकास और गरीब लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए ज्ञात सभी नीतियां ऊर्जा प्रधान हैं। जब तक वे केन्द्रीय कृत ऊर्जा प्रणालियों पर निर्भर हैं, तब तक लोगों की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती है। विकेन्द्रीकृत प्रणाली, क्षेत्रीय आत्मनिरर्भता और गांवों में उपलब्ध गोबर और पेड़ पौधे के कचरे जैसी सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली उन लोगों द्वारा भी काम में लाई जा सकती है जो अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि वैज्ञानिक ग्रामीण समस्याओं के प्रति क्यों नहीं अधिक रुचि लेते। इससे अधिक संतोष की और क्या बात हो सकती है कि आप लाखों लोगों के जीवन की स्थिति में सुधार लाएं। हम ऐसी प्रौद्योगिकी चाहते हैं जिससे मजदूरों और स्थानीय रूप से उपलब्ध साधनों के इस्तेमाल की तकनीक को हटाए बिना उत्पादन में सुधार हो।"

—श्रीमती इन्दिरा गांधी

मत रो बहन

मत रो बहन आते हैं हम.
आज तुम्हारी लाज बचाने
आज तुम्हारे दुःशासन को
घने पड़ेंगे चने चबाने।

अब बलिवेदी पर दहेज की
कोई नारी नहीं चढ़ेगी
नहीं फटेगी कोई साड़ी
नहीं लुटेगी इज्जत प्यारी।

लेकिन मेरी बहन तुम्हें भी,
बनना होगा दुर्गा काली
सामाजिक शत्रु के आगे
नहीं बैठ जाना तुम खाली।

देखो तो पक्षी गाते हैं,
नई सुबह है नई किरण है
धरती से अम्बर तक जननी
तुम्हें नमन है शुभागमन है।

धर्मबीर सिंह पाल

विद्युतीकरण - ग्रामीण विकास का मुख्य पहलू

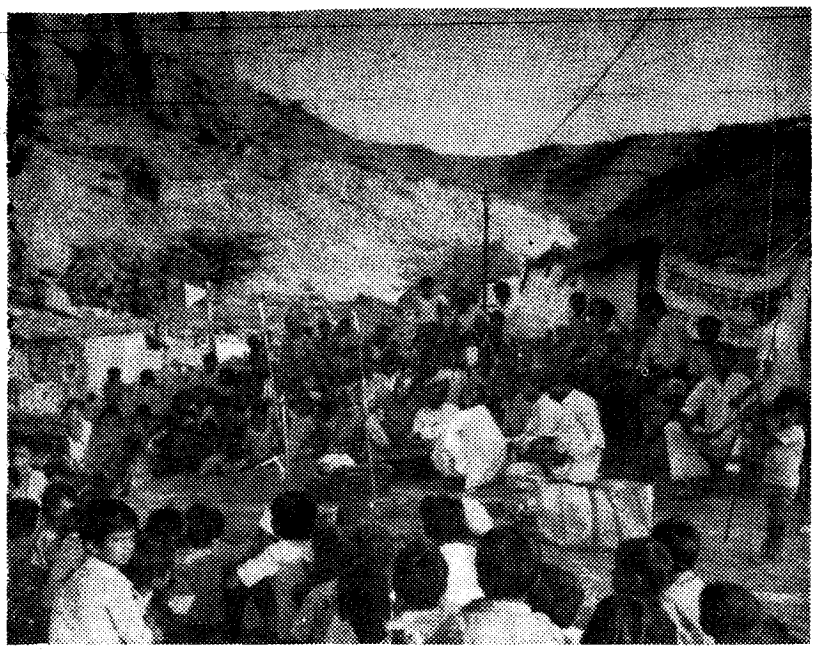

ग्रामीण विद्युत-सहकारी समितियां ग्रामीण बिजली वितरण व्यवस्था का नवीकरण करके ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं। ग्रामीण बिजली सहकारी समितियों का गठन 1969 में प्रायोगिक आधार पर आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में किया गया था। इस समय कार्यरत 24 ग्रामीण विद्युत-सहकारी समितियों में से 10 ने अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है।

संगीत की मधुर स्वर---लहरी दूर-दूर तक सुनी जा रही है।

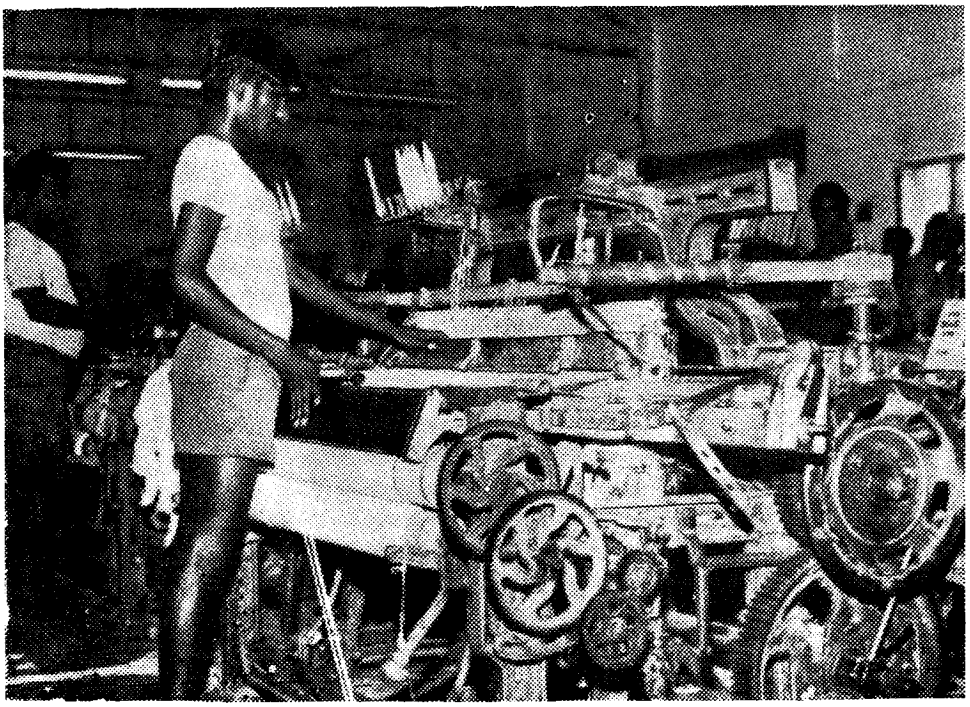

विद्युत द्वारा लघु एवं ग्रामोद्योगों में बेहतर और अधिक उत्पादन हो रहा है।

RN/708
P & T Regd. No. D(DN)
Licenced under U (DN
to post without Pre-payment at Civil Lines Post Office, D

उचित सिंचाई–अधिक उत्पादन

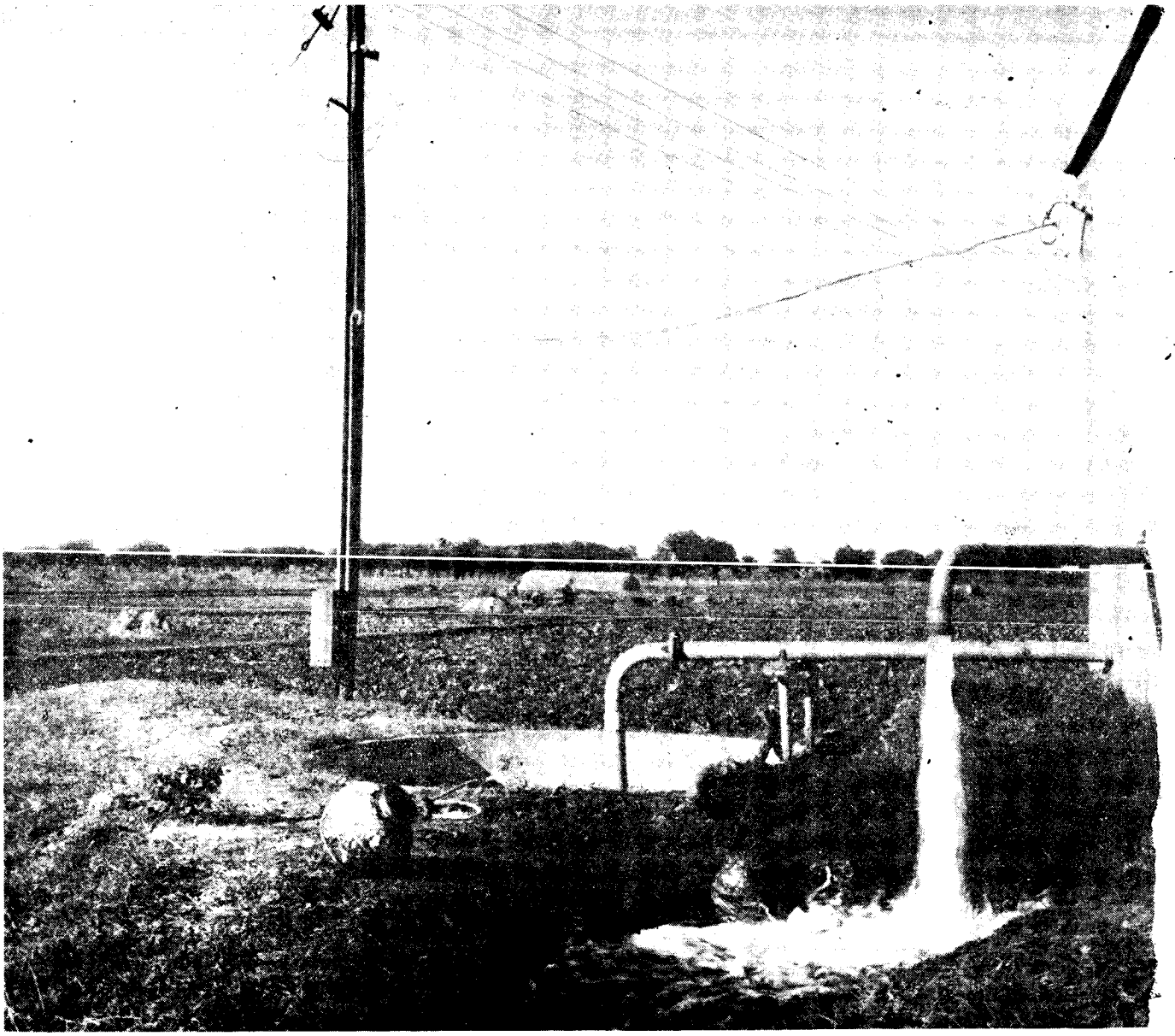

गांव में विद्युत चालित पम्प

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा
प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय,, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।